सत्यमेव जयते
Government of India

NCGG
National Centre for Good Governance
The Torch Bearer of Good Governance

वार्षिक रिपोर्ट 2020-21

राष्ट्रीय सुशासन केन्द्र

प्रशासनिक सुधार और लोक शिकायत विभाग, भारत सरकार का स्वायत्त संस्थान

2020-21

वार्षिक रिपोर्ट

राष्ट्रीय सुशासन केन्द्र

प्रशासनिक सुधार और लोक शिकायत विभाग, भारत सरकार का स्वायत्त संस्थान

विषय-वस्तु

केन्द्र के बारे में	3
वर्ष 2020-21 के दौरान एनसीजीजी के कार्यकलाप	5
एनसीजीजी, मसूरी में उपलब्ध सुविधाएं	24
एनसीजीजी के पदाधिकारीगण और सदस्य	25
संलग्नक-I राष्ट्रीय सुशासन केन्द्र (एनसीजीजी) के शासी निकाय के सदस्यगण	28
संलग्नक- II राष्ट्रीय सुशासन केन्द्र (एनसीजीजी) की प्रबंधन समिति के सदस्णगण	29
संलग्नक-III वर्चुअल कार्यशालाओं की सूची	30
संलगनक-IV सुशासन वेबिनार श्रृंखला की सूची	31
संलग्नक-V प्रशिक्षण कैलेण्डर 2021-22	32

NCGG

परिचय

I. केंद्र के बारे में:

राष्ट्रीय सुशासन केंद्र (एनसीजीजी) प्रशासनिक सुधार और लोक शिकायत विभाग, भारत सरकार के तत्वावधान में एक स्वायत्त संस्थान है। इसका मुख्यालय नई दिल्ली में और शाखा कार्यालय मसूरी में स्थित है।

राष्ट्रीय सुशासन केंद्र (एनसीजीजी) की स्थापना अध्ययनों, प्रशिक्षण, ज्ञान की साझेदारी और उत्तम विचारों के प्रोत्साहन के जरिए शासन में सुधार लाने हेतु सहायता करने के उद्देश्य से की गई है। इससे नीति संगत शोध कार्य करने एवं मामला अध्ययन तैयार करने, भारत और अन्य विकासशील देशों के सिविल सेवकों के लिए सहायक प्रशिक्षण पाठ्यक्रम तैयार करने, मौजूदा ज्ञान के आदान-प्रदान हेतु मंच उपलब्ध कराने और राष्ट्रीय एवं अंतरराष्ट्रीय दोनों स्तरों पर सक्रिय रुप से ज्ञान प्राप्त करने तथा उनके कार्यान्वयन के लिए विचार विकसित करने की अपेक्षा की जाती है।

II. एनसीजीजी का अधिदेश:

राष्ट्रीय सुशासन केंद्र की देश के शीर्ष थिंक-टैंक के रूप में परिकल्पना की गई है जो सरकार का मार्गदर्शन और सुशासन सुधारों को लागू करने में सरकार की सहायता करेगा। इससे राष्ट्रीय से प्रादेशिक और स्थानीय स्तर तथा सरकार के सभी सेक्टरों से संबंधित शासन के सुशासन सुधारों को लागू करने में सरकार की सहायता करेगा। इससे राष्ट्रीय स्तर पर समस्त मुद्दों पर अनुसंधान और प्रशिक्षण के लिए उच्च स्तरीय संस्थान बनाने की अपेक्षा की जाती है ।

III. उद्देश्य:

एनसीजीजी के उद्देश्य और कार्य इस प्रकार हैं :

i. प्रशासनिक, सामाजिक, आर्थिक एवं वित्तीय क्षेत्रों के मध्य एवं शासन एवं नीतिगत सुधारों के लिए विचार-मंडल होना,

ii. श्रेष्ठ कार्य-प्रणालियां,पहल और पद्धतियां जो सुशासन, ई-गवर्नेंस, नवाचार, और सरकार के भीतर परिवर्तन-प्रबंधन को प्रोत्साहित करें, के राष्ट्रीय सूचना कोष के रूप में कार्य करना।

iii. राष्ट्रीय/ राज्य और स्थानीय स्तर पर विनियामक और विकासात्मक प्रशासन, लोक नीति, शासन और लोक प्रबंधन के विविध पहलुओं पर सक्रिय शोध तथा क्षमता निर्माण कार्य शुरू करना और उनमें सहभागिता करना।

iv. भारत सरकार के विभिन्न मंत्रालयों/ विभागों तथा राज्य सरकारों के बीच सहक्रियाशीलता विकसित करना और शासन में प्रमुख मुद्दों पर परामर्श देना।

v. शासन में नवाचारी विचारों और श्रेष्ठ प्रथाओँ की साझेदारी और रेप्लिकेशन तथा उपर्युक्त क्षेत्रों में क्षमता निर्माण को प्रोत्साहन देना।

vi. देश के भीतर और बाहर परामर्श सेवा कार्य करना।

vii. सरकार के भीतर और बाहर शोधरत राष्ट्रीय एवं अंतरराष्ट्रीय संगठनों के साथ पारस्परिक संवाद।

IV. शासी निकाय:

एनसीजीजी मंत्रिमंडल सचिव की अध्यक्षता में शासी निकाय द्वारा शासित है। सोसायटी के कार्य शासी निकाय की देखरेख, निदेश और नियंत्रण से प्रबंधित किए जा रहे हैं। शासी निकाय के सदस्यों की सूची **संलग्नक I** पर दी गई है।

V. प्रबंधन समिति:

एनसीजीजी की एक प्रबंधन समिति है जिसके अध्यक्ष सचिव, कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग हैं। प्रबंधन समिति के सदस्यों की सूची **संलग्नक II** पर दी गई।

NCGG

वर्ष 2020-21 के दौरान एनसीजीजी के कार्यकलाप

I. “कोविड-19 - वैश्विक महामारी में सुशासन प्रथाएं” विषय पर 18 जून 2020 से 19 जून 2020 तक पूर्वी अफ्रीक्रा, मध्य एशिया एवं दक्षिण एशिया के देशों के लिए दो दिवसीय बहुदेशीय एनसीजीजी-आईटीईसी कार्यक्रम

दो-दिवसीय कार्यशाला संयुक्त रूप से विदेश मंत्रालय, प्रशासनिक सुधार और लोक शिकायत विभाग तथा राष्ट्रीय सुशासन केंद्र की संकल्पना है जिसका उद्देश्य कोविड-19 वैश्विक महामारी से लड़ने में भारत की सुशासन प्रथाओं को आईटीईसी देशों को प्रचारित करना है ।

इस कार्यशाला में भारत सरकार के विभिन्न मंत्रालयों/विभागों तथा प्रतिष्ठित संस्थानों के सम्मानित अध्यक्ष और प्रख्यात वक्ता शामिल हुए । इस कार्यशाला के प्रतिभागियों में वरिष्ठ सचिव, जिला प्रशासक और पूर्वी अफ्रीका, मध्य एशिया एवं दक्षिण एशिया के 16 देशों के वरिष्ठ अधिकारी शामिल हुए । कार्यप्रणाली सरल थी और इसमें माननीय राज्य मंत्री, कार्मिक, लोक शिकायत तथा पेंशन मंत्रालय, भारत सरकार डॉ. जितेन्द्र सिंह द्वारा उदघाटन सत्र शामिल था जिसमें कोविड-19 कार्यशाला के उद्देश्य को रेखांकित किया गया था ।

अपने उद्घाटन भाषण में डॉ. जितेन्द्र सिंह ने कहा कि टीमवर्क, सहानुभूति एवं राजनीतिज्ञता ने कोविड-19 वैश्विक महामारी की प्रतिक्रिया में भारत के शासन को परिभाषित किया है । भविष्य के लिए ‘’दो गज दूरी’’ - सामाजिक दूरी पर ध्यान केंद्रित किया गया है । भारत ने आरोग्य सेतु ऐप को लोकप्रिय बनाया है जिसका प्रयोग 12 करोड़ भारतीयों द्वारा किया जाता है । उन्होंने आगे कहा कि कोरोना के साथ जीने का परिणाम यह हुआ कि कम संपर्क (शारीरिक) वाला शासन अधिकारियों को मास्क और ग्लव्स पहन कर काम करना पड़ रहा है और घर से काम करने के तरीके को अपनाया जा रहा है । वर्चुअल कार्यालयों, वेबरूम बैठकों और वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क को अपनाया गया क्योंकि भारत का केंद्रीय सचिवालय, एक डिजिटल केंद्रीय सचिवालय में परिवर्तित हो गया था । 75 मंत्रालयों ने ई-ऑफिस अपनाया, एनआईसी द्वारा कार्यात्मक वेब-रूम तैयार किए गए और भारत की डिजिटल अवसंरचना (इंफ्रास्ट्रक्चर) की पहलें फलीभूत हुईं । एकीकृत सेवा पोर्टलों का प्रभाव दर्ज किया गया ।

पूरे कार्यक्रम के दौरान चार सत्र आयोजित हुए जिनमें कोविड-19 वैश्विक महामारी से लड़ने के लिए राज्य एवं जिलों की सर्वोत्तम प्रथाओं,

स्वास्थ्य क्षेत्र की चुनौतियों और मिशन वन्दे भारत पर चर्चा हुई ।

अपर सचिव, प्रशासनिक सुधार और लोक शिकायत विभाग तथा महानिदेशक राष्ट्रीय सुशासन केंद्र श्री वी. श्रीनिवास ने कहा कि दो दिवसीय एनसीजीजी-आईटीईसी कार्यशाला में भागीदारी अपेक्षा से अधिक रही और भाग लेने वाले सभी अंतर्राष्ट्रीय सिविल सेवको सकारात्मक समीक्षाएं प्राप्त हुईं ।

II. कोविड-19 महामारी में ''सुशासन प्रथाएं'' पर 06-07 अगस्त, 2020 को अफ्रीकी देशों के लिए दूसरी दो-दिवसीय बहुद्देशीय एनसीजीजी- आईटीईसी वर्चुअल कार्यशाला

आईटीईसी देशों में कोविड-19 वैश्विक महामारी से लड़ने में भारत की सुशासन प्रथाओं के प्रसार के उद्देश्य से यह दो दिवसीय कार्यशाला विदेश मंत्रालय, प्रशासनिक सुधार और लोक शिकायत विभाग तथा राष्ट्रीय सुशासन केन्द्र की संयुक्त संकल्पना है ।

इस कार्यशाला में अफ्रीकी देशों के प्रख्यात संस्थानों/संगठनों के सम्मानित अध्यक्ष और भारत सरकार के मंत्रालयों/विभागों के प्रसिद्ध वक्ता शामिल हुए । कार्यशाला में राजनयिक, सिविल सेवकों और दक्षिण एशिया, दक्षिण-पूर्व एशिया, लैटिन अमेरिका तथा अफ्रीका के 26 देशों के स्वास्थ्य विशेषज्ञों ने भाग लिया ।

कार्यशाला की कार्यपद्धति सरल थी जिसमें उद्घाटन सत्र का शुभारंभ माननीय राज्यमंत्री, कार्मिक, लोक शिकायत एवं पेंशन, भारत सरकार, डॉ. जितेन्द्र सिंह ने माननीय राज्यमंत्री, विदेश मंत्रालय, भारत सरकार श्री वी. मुरलीधरन की उपस्थिति में किया जिसमें कोविड-19 कार्यशाला के उद्देश्य को रूपरेखा दी गई थी।

माननीय राज्यमंत्री, कार्मिक, लोक शिकायत एवं पेंशन, भारत सरकार डॉ. जितेन्द्र सिंह ने कार्यशाला की मौजूदा श्रृंखला के लिए एनसीजीजी-आईटीईसी सहयोग की प्रशंसा की । उन्होंने भारत और अफ्रीका की साझी विरासत की बात कही जहां दोनों देशों ने न्याय के लिए संघर्ष किया है । उन्होंने कहा कि भारत ने भारत के माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी के नेतृत्व में वैश्विक कोविड-19 सहयोग का माहौल तैयार कर दिया है ।

उन्होंने कहा कि भारत के प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी ही थे जिन्होंने देश में कोविड-19 संक्रमण के बहुत कम मामले होने के बावजूद शुरूआत में ही लॉकडाउन लगाकर इस चुनौती से लड़ने के लिए पूरे विश्व को तैयार करने का काम किया । उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री की दूरदर्शिता से भारत को इस चुनौती का मजबूती से सामना करने में मदद मिली और यही तरीका अन्य देशों द्वारा भी अपनाया गया ।

मुख्य अतिथि, माननीय राज्यमंत्री, विदेश मंत्रालय, भारत सरकार श्री वी. मुरलीधरन ने इस बात पर प्रकाश डाला कि कैसे इस वैश्विक महामारी ने हमारे जीवयनयापन के तौर-तरीका को बदल दिया है और अब यह नया तरीका ही सामान्य हो गया है। उन्होंने कहा कि भारत ने सार्क कोविड कोष (SAARC COVID FUND) की शुरूआत कर मालदीव के लिए ऑपरेशन संजीवनी चलाकर तथा ''वसुधैव कुटुम्बकम्'' की सच्ची भावना का प्रदर्शन करते हुए सागर (SAGAR) मिशन को सशक्त बनाकर कोविड कूटनीति में एक प्रशंसनीय कार्य किया है । अपने सीमित संसाधनों ओर स्वास्थ्य तथा चिकित्सीय अवसंरचना के कारण विकासशील देश इस महामारी से बहुत बुरी तरह से प्रभावित हुए ।

हालांकि भारत ने माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी के नेतृत्व में पड़ोसी देशों और अन्य देशों में चिकित्सीय और अन्य सहायता पहुंचाने में अग्रणी भूमिका निभाई । उन्होंने कहा कि विश्व के अन्य देशों के सहयोग से भारत टीका बनाने में भी अग्रणी भूमिका निभा रहा है ।

पूरे कार्यक्रम के दौरान छः सत्र आयोजित हुए जिनमें कोविड-19 महामारी से लड़ने में राज्यों और जिलों की सर्वोत्तम प्रथाओं, अफ्रीका के अनुभव, हेल्थ सेक्टर की चुनौतियों एवं मिशन वन्दे भारत पर चर्चा हुई ।

सचिव, प्रशासनिक सुधार और लोक शिकायत विभाग डॉ. के. शिवाजी ने ''कोविड-19 महामारी में सुशासन की प्रथाएं'' पर दो-दिवसीय एनसीजीजी-आईटीईसी के दूसरे दिन समापन सत्र को संबोधित करते हुए कहा कि ''अनिश्चितता ही निश्चित है।'' अलग- अलग देश हर समय नई-नई रणनीतियां ला रहे हैं इसलिए यह आवश्यक है कि हम मिल-जुलकर प्रयास करें क्योंकि इस महामारी ने पूरे विश्व में विकास के सारे क्षेत्रों को बुरी तरह प्रभावित किया है ।

प्रो. पूनम सिंह, एनसीजीजी ने इस कार्यशाला के लिए समय देने और इसमें भाग लेने के लिए सभी अतिथियों और प्रतिभागियों का आभार व्यक्त किया । उन्होंने कहा कि इस कार्यशाला का अनुभव बहुत ज्ञानवर्द्धक रहा और इसमें दिए गए सार्थक विचारों से सभी भागीदारों का ज्ञानवर्द्धन हुआ ।

III. ''महामारी में सुशासन प्रथाएं'' पर 04 सितम्बर, 2020 को एक-दिवसीय एनसीजीजी-नीति आयोग की वर्चुअल कार्यशाला

''महामारी में सुशासन प्रथाएं'' पर एक दिवसीय एनसीजीजी- नीति आयोग की वर्चुअल वर्कशॉप राष्ट्रीय सुशासन केन्द और नीति आयोग की संयुक्त संकल्पना है जिसका उद्देश्य कोविड-19 महामारी से लड़ने में जिला स्तरीय सुशासन प्रथाओं के ज्ञान का प्रसार करना है ।

इस कार्यशाला में, भारत सरकार, राज्य सरकारों के मंत्रालयों/विभागों के माननीय अध्यक्ष और प्रख्यात वक्ता और कलक्टर शामिल हुए । कार्यशाला में प्रशासनिक सुधार और लोक शिकायत विभाग (डीएआरपीजी), नीति आयोग, केंद्रीय मंत्रालय के वरिष्ठ अधिकारी, आकांक्षी जिला कार्यक्रम के तहत केंद्रीय प्रभारी अधिकारी के रूप में कार्य कर रहे वरिष्ठ सिविल सेवक, राज्य सरकारों के वरिष्ठ अधिकारी, कलक्टर, आकांक्षी जिला कार्यक्रम का संचालन कर रहे जिला स्तरीय अधिकारी, भारतीय प्रबंधन संस्थानों के निदेशक और भारत के 35 विश्वविद्यालयों के लोक प्रशासन विभाग के अध्यक्षों ने सहभागिता की ।

पूरे कार्यक्रम के दौरान छः सत्र आयोजित किए गए जिनमें सम्मेलन के उद्देश्य सहित कोविड-19 महामारी से लड़ने में राज्य और जिला स्तरीय सर्वोत्तम प्रथाओं, स्वास्थ्य शासन, एडीपी जिलों में ई-शासन, पूर्वोत्तर राज्यों से जुड़ी कृषि, जल संसाधन प्रबंधन प्रथाओं और शैक्षणिक शासन पर चर्चा की गई ।

माननीय राज्यमंत्री, कार्मिक, लोक शिकायत एवं पेंशन डॉ. जितेन्द्र सिंह ने महामारी में आकांक्षी जिलों में कोविड-19 ''सुशासन प्रथाएं'' पर एनसीजीजी-नीति आयोग की एक दिवसीय वुर्चअल कार्यशाला का समापन सत्र संबोधित किया ।

समापन सत्र में माननीय राज्यमंत्री (पीपी) डॉ. जितेन्द्र सिंह ने कहा कि अब समय आ गया है कि हमारे पास रुल ब्रेस्ड नहीं बल्कि रोल बेस्ड सिविल सेवक हों । जिस उत्साह से नीति आयोग के मुख्य कार्यकारी अध्यक्ष (सीईओ) अमिताभ कान्त ने अपना भाषण दिया, वक्ताओं ने अपनी ज्ञानवर्द्धक प्रस्तुतियां दीं और अन्य सभी प्रबुद्ध वक्ताओं ने जिस प्रकार से अपनी उपस्थिति से इस कार्यशाला की शोभा बढ़ाई इसकी प्रशंसा माननीय मंत्री जी ने की । कोविड-19 ने सभी हितार्थियों को यह अवसर दिया है कि सभी एक साथ एक मंच पर आएं और शासन की सर्वोत्तम प्रथाओं को डिजिटल माध्यम से साझा करें । उन्होंने आगे कहा कि कार्यशाला के विषय का समय अनुकूल है क्योंकि नये राजनीतिक एप्रोच के कारण हमें हमारे कार्यक्रमों का वैज्ञानिक मूल्यांकन करना चाहिए । परिणाम पहले से ही स्पष्ट है क्योंकि हम लोग काम करने के तौर-तरीके में बदलाव देख सकते हैं । कोविड-19 संकट में हमें अपने देश के जोश और अनुभूत सामर्थ्य की अंतनिहित समुत्थान शक्ति देखने को मिली है।

प्रो. पूनम सिंह, एनसीजीजी ने माननीय अध्यक्ष और सभी वक्ताओं का हार्दिक आभार व्यक्त किया जिन्होंने अपना अनुभव साझा किया जिससे सभी को प्रेरणा मिली साथ ही साथ कोविड-19 से उत्पन्न चुनौतियों का सामना करने के लिए बहुत अच्छे विचार और व्यावहारिक समाधान मिलने से उनका ज्ञानवर्द्धन हुआ ।

IV. ''महामारी में सुशासन प्रथाएं'' पर 23-24 फरवरी, 2021 को दो-दिवसीय भारत-मालदीव वर्चुअल कार्यशाला

राष्ट्रीय सुशासन केन्द्र (एनसीजीजी) ने मालदीव में भारतीय उच्चायोग, सिविल सेवा आयोग, मालदीव तथा स्थानीय शासन प्राधिकरण के सहयोग से ''महामारी में सुशासन प्रथाएं'' पर भारत-मालदीव के बीच दो दिवसीय वर्चुअल कार्यशाला आयोजित की ।

सचिव, प्रशासनिक सुधार और लोक शिकायत विभाग, डॉ. के. शिवाजी ने ''महामारी में सुशासन प्रथाएं'' पर भारत-मालदीव के बीच दो-दिवसीय वर्चुअल कार्यशाला में उद्घाटन भाषण दिया ।

पूरे कार्यक्रम के दौरान आठ सत्र आयोजित किए गए जिनमें दोनों ही देशों में महामारी के समय स्वास्थ्य और शिक्षा के क्षेत्र में कार्य करने के कठिन परिवेश पर ध्यान केन्द्रित किया गया । इस कार्यक्रम में महामारी के दौरान रोजगार, कौशल एवं पर्यटन, अंतर्वैयक्तिक और संचार कौशल, डिजिटल प्रथाएं(प्रैक्टिसेज), लोक शिकायतों का निपटान, समसस्या विश्लेषण तथा निर्णयन से अधिक विषयों पर बल दिया गया । इस कार्यक्रम में इस बात पर बल दिया गया कि मालदीव के सिविल सेवकों को भारत के सिविल-सेवकों को भारत के सिविल-सेवकों का पूरा अनुभव साझा किया जाए और भारतीय सिविल सेवकों को अपने मालदीव के समकक्षों द्वारा अनुभव की गई समस्याओं से अवगत कराया जाए ताकि अनुभवों का आदान-प्रदान करके लोक क्षमता बढ़ाई जाए ।

इस कार्यक्रम का समापन भाषण माननीय राज्यमंत्री, कार्मिक, लोक शिकायत एवं पेंशन, डॉ. जितेन्द्र सिंह ने दिया । उन्होंने कहा कि महामारी ने जीवन के हर क्षेत्र को प्रभावित किया है और शासन में बहुत बड़ा बदलाव ला दिया है । देश में ही विकसित दो टीके - कोवैक्सीन (COVAXIN) और कोवीशील्ड (COVISHIELD) के साथ भारत के कोविड-19 टीकाकरण अभियान की सफल शुरूआत ने आने वाले महीनों में इस महामारी पर निर्णायक जीत की उम्मीद जगाई है । दोनों ही देशों के लिए कोविड-19 के खिलाफ लड़ाई में आगे का रास्ता अर्थव्यवस्था को फिर से शुरू करने पर निर्भर करता है । उन्होंने आगे कहा कि सशक्त संस्थानों, ज्यादा सशक्त ई-शासन मॉडल का निर्माण, नागरिकों को

डिजिटल रूप से जागरूक बनाने एवं स्वास्थ्य सुविधाओं को बेहतर करने पर बल देते हुए सहकारी संघवाद को सुदृढ़ करने की आवश्यकता हैं । उन्होंने कहा कि भारत के माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी ने अपने पड़ोसी देशों को कोविड-19 महामारी से लड़ने के लिए वैक्सीन उपलब्ध कराने पर जोर देते हुए अपनी गंभीर और स्थायी प्रतिबद्धता को दोहराया है । माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी ने आत्म-निर्भर भारत बनाने और भारत को दुबारा तेज विकास के रास्ते पर लाने की आवश्यकता पर बल दिया । उन्होंने कहा कि दृढ़ निश्चत, समावेश, निवेश, अवसंरचना (इंफ्रास्ट्रक्चर) ओर नवाचार की आवश्यकता है । उन्होंने आगे कहा कि आत्मनिर्भर भारत अभियान के अंतर्गत प्रणालीबद्ध नियोजित, एकीकृत, अंतर-संबंधित भविष्यवादी सुधारों की शुरूआत की गई है ।

विदेश मंत्री, मालदीव सरकार श्रीमान् अब्दुल्ला शाहिद ने भी इस कार्यशाला को संबोधित किया और इस उत्कृष्ट मिशन के लिए भारत का धन्यवाद किया ।

अपर सचिव, डीएआरपीजी एवं महानिदेशक एनसीजीजी श्री वी. श्रीनिवास ने कहा कि कार्यशाला में भागीदारी अपेक्षा से अधिक रही जिसमें 1350 से अधिक प्रतिभागियों ने भाग लिया । इसमें माननीय अध्यक्ष सहित भारत सरकरार के मंत्रालयों/विभागों के प्रख्यात वक्ता, मालदीव सरकार और राज्य सरकारों के वरिष्ठ अधिकारी और कलक्टर, डीएआरपीजी के वरिष्ठ अधिकारी, आकांक्षी जिला कार्यक्रम का संचालन कर रहे जिला स्तरीय अधिकारी, भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान के निदेशक और भारत के 35 विश्वविद्यालयों के लोक प्रशासन विभाग के अध्यक्ष शामिल हुए ।

प्रो. पूनम सिंह, एनसीजीजी ने सभी अतिथियों और सहभागियों का इस कार्यशाला में भाग लेने और समय देने के लिए आभार प्रकट किया और कहा कि इस कार्यशाला से बहुत कुछ सीखने का अनुभव प्राप्त हुआ और इसमें साझा किए गए विचारों से सभी हितार्थियों का ज्ञानवर्द्धन हुआ । वर्चुअल कार्यशाला की सूची **अनुलग्नक – *III*** में सूचीबद्ध है ।

V. सुशासन वेबिनार श्रृंखला

i. "नीति, जवाबदेही और लोक शिकायतों का निवारण'' पर 26 नवंबर 2020 को वेबिनार

एनसीजीजी ने ऐतिहासिक राष्ट्रीय संविधान दिवस पर अपर सचिव, डीएआरपीजी एवं महानिदेशक, एनसीजीजी श्री वी. श्रीनिवास की अध्यक्षता में ''नीति, जवाबदेही और लोक शिकायतों का निवारण'' पर एक वेबिनार का आयोजन किया । वेबिनार के प्रमुख वक्ता थे - प्रो. एवं विभागाध्यक्ष, लोक प्रशासन विभाग, मिजोरम विश्वविद्यालय प्रो. श्रीनिवास पाथी, प्रो. रणनीति एवं अंतर्राष्ट्रीय व्यापार, आईआईएम इंदौर, प्रो. प्रशान्त सालवान, और असिस्टेंट प्रो., लोक प्रशासन विभाग, मद्रास क्रिश्चियन कॉलेज, प्रो. अंसुमन रब्बानी । वेबिनार का संचालन प्रो.पूनम सिंह, एनसीजीजी द्वारा किया गया ।

ii. "नए भारत में सुशासन के लिए प्रबंधन प्रथाएं" पर 03 दिसम्बर, 2020 को वेबिनार

एनसीजीजी ने "नए भारत में सुशासन के लिए प्रबंधन प्रथाएं" पर अपर सचिव, डीएआरपीजी एवं महानिदेशक, एनसीजीजी श्री वी. श्रीनिवास की अध्यक्षता में एक वेबिनार आयोजित किया । निदेशक, आईआईएम इंदौर प्रो. हिमांशु राय और आईआईएम संबलपुर निदेशक डॉ. महादेव जायसवाल इस वेबिनार के प्रमुख वक्ता थे । वेबिनार का संचालन प्रो. पूनम सिंह, एनसीजीजी ने किया । इस वेबिनार में सभी आईआईएम में लोक प्रशासन, राजनीति विज्ञान, समाजशास्त्र और प्रबंधन के के अग्रणी संकायों और देश के 100 से अधिक विश्वविद्यालयों, 117 आंकाक्षी जिलों और भारत सरकार के वरिष्ठ अधिकारियों ने भाग लिया ।

iii. "सुशासन में जिला कलेक्टर की बढ़ती हुई भूमिका" पर 11 दिसंबर, 2021 को बेबिनार

इस बेबिनार का विषय था -"सुशासन में जिला कलेक्टर की बढ़ती हुई भूमिका" जिसकी अध्यक्षता अपर सचिव, डीएआरपीजी, भारत सरकार एवं महानिदेशक, एनसीजीजी, श्री वी.श्रीनिवास ने की और संचालन प्रो.पूनम सिंह, एनसीजीजी ने किया।

भारत सरकार में वरिष्ठ पदों पर कार्य कर चुके दो प्रख्यात वक्ताओं ने कार्यक्रम की शोभा बढ़ाई। प्रमुख वक्ता थे श्री सी.के. मैथ्यू जो राजस्थान सरकार की पूर्व मुख्य सचिव हैं। उन्होंने हाल ही में एक किताब का प्रकाशन किया है जिसका शीर्षक है - "द हिस्टॉरिकल इवोल्यूशन ऑफ द डिस्ट्रिक्ट ऑफिसर: फ्रॉम अर्ली डेज टू 1947" अपनी प्रस्तुति में उन्होंने जिला कलेक्टर के पद के विकास पर इसकी शुरूआत से ही प्रकाश डाला है। उन्होंने प्रागैतिहासिक काल से लेकर ब्रिटिश काल होते हुए आधुनिक समय तक के इतिहास की चर्चा की है। उन्होंने इस बात पर प्रकाश डाला कि अंग्रेजों ने समाज को व्यवस्थित करने प्रणाली के रूप में राजस्व शासन के सिद्धांत की शुरूआत की। इस प्रकार वॉरेन हेस्टिंग्स ने 1772 ई. में पर्यवेक्षक के पद को बदलकर जिला कलेक्टर कर दिया और हैरी वेरेसल्ट ने शासन का प्रथम सिद्धांत प्रस्तुत किया। आज के समय में, एक जिला कलेक्टर जिले का राजस्व अधिकारी, शांति स्थापित करने वाला और विकास का चेहरा होता है। वह विधायिका और कार्यपालिका के बीच का सेतु भी होता है और ठीक ही कहा जाता है कि वह "सरकार की आंख और कान" होता है। अपनी प्रस्तुति में श्री सी.के.मैथ्यू ने कहा कि आगे का रास्ता हिमाचल प्रदेश द्वारा तैयार किए गए सुशासन सूचकांक में बताया गया है जिससे जिला स्तर पर सुशासन स्थापित किया जा सके।

दूसरी वक्ता थीं श्रीमती रजनी सेखरी सिब्बल, और वह भी भारत सरकार में भूतपूर्व सचिव रह चुकी हैं। उन्होंने अपनी प्रस्तुति में जिला कलेक्टर की भूमिका में ईमानदारी के बार में बताया, उन्होंने कहा कि जिला कलेक्टर में साहस, प्रतिबद्धता दृढ़ इच्छाशक्ति होनी चाहिए। उन्हें निष्पक्ष और कार्यप्रणाली में स्पष्टवादी होना चाहिए जब वे जनता के बीच हों या उनका काम कर रहे हों क्योंकि जनता ही उनकी वास्तविक क्लाएंट है। जनता के साथ प्रभावी काम करने में 'विश्वास' उनके लिए अति आवश्यक है। एक जिला कलेक्टर के आचरण और व्यवहार के संबंध में श्रीमती रजनी सिब्बल ने कहा "एक आदमी यह शायद ही याद रखता है कि उससे क्या कहा गया और उनके साथ क्या किया गया लेकिन वह यह कभी नहीं भूलता है कि आपने उसे कैसा महसूस कराया।" यह इस बात पर जोर देता है कि जब भी कोई जिला कलेक्टर किसी से मिले, वह उनके साथ विनम्रता और भद्रता से व्यवहार करे। उपर्युक्त बातों के साथ-साथ एक कलेक्टर को सबके लिए समान रूप से निष्पक्षता का मापदंड अपनाना चाहिए। इसके अतिरिक्त, श्रीमती सिब्बल ने कई सुधारों के सुझाव दिए जो समय की मांग हैं। सर्वप्रथम जो मुद्दा उन्होंने उठाया वह था, कार्यकाल की सुरक्षा। उनका यह मत था कि

NCGG

तैनाती के समय कलेक्टरों को कार्यकाल की सुरक्षा दी जानी चाहिए। और जब भी उनके तबादले किए जाए तो लिखित कारणों को सार्वजिनक किया जाना चाहिए। इससे उन्हें विकास कार्यों को प्रभावी ढंग से पूरा करने में सहूलियत होगी। दूसरा कि जिला कलेक्टर का कार्य-निष्पादन मूल्यांकन विषय-परक मानदंडों पर किया जाना चाहिए और यह व्यक्ति परक नहीं होना चाहिए जैसा कि आजकल किया जाता है।

इस सत्र का संचालन प्रो. पूनम सिंह, एनसीजी, नई दिल्ली के द्वारा किया गया।

iv. 'राज्य प्रशासन कार्य निष्पादन प्रबंधन एवं समन्वय संकट प्रबंधन एवं कार्मिक प्रशासन में मुख्य सचिव के नेतृत्व की भूमिका'' पर 18 दिसंबर 2020 को वेबिनार

श्री वी. श्रीनिवास ने सुशासन के महत्व पर उद्घाटन भाषण दिया। इसके बाद उन्होंने कार्यक्रम के अतिथियों और सहभागियों का हार्दिक स्वागत किया। श्री वी .श्रीनिवास ने राज्य में मुख्य सचिव की नीति मूल्यांकन से लेकर योजनाओं की निगरानी तक की नेतृत्व भूमिका के विषय में बताया कि वे हमेशा एक पारदर्शी शासन व्यवस्था के लिए प्रयासरत रहते हैं और नई संस्थाओं की स्थापना और नीतियों के प्रभावी कार्यान्वयन के लिए राज्य प्रशासन के सर्वोपरि होते हैं। उन्होंने कहा कि सरकार के विकास के एजेंडा के लिए सचिव की सक्रियता बहुत महत्वपूर्ण है। वे सभी विषम परिस्थितियों के बावजूद जनता की भलाई के लिए सदैव गंभीरता से प्रतिबद्ध रहते हैं और माना जाता है कि जो निर्णय सचिव लेते हैं वह निष्पक्ष होते हैं। कार्यक्रम में दो प्रख्यात वक्ता शामिल हुए जो स्वयं भारत सरकार में वरिष्ठ पदों पर रह चुके हैं। पहले वक्ता थे आंध्र प्रदेश के पूर्व मुख्य सचिव रह चुके श्री एल.बी.सुब्रमण्यम। उन्होंने अपनी बात शुरू करते हुए कहा कि मुख्य सचिव की शक्तियों एवं कार्यों का उल्लेख सदन के कार्य संचालन नियम पुस्तिका में है। मुख्य सचिव इस बात का ध्यान रखते हैं कि एच्छिक प्रस्तावों के विषय में मुख्यमंत्री को सूचित करने के बाद निर्णयों का कार्यान्वयन अच्छी तरह से हो। इस प्रकार वे राज्य प्रशासन में मुख्य संपर्क अधिकारी की तरह कार्य करते हैं। जब राज्य कार्यक्रमों के कल्याण, विनियामक एवं अवसंरचना संबंधी क्रियाकलापों की बात हो तो वे एक दूसरे से ओवरलैप करने लगती हैं ऐसी स्थिति में मुख्य सचिव भी चल रही सारी गतिविधियों की निगरानी करते हैं और यह सुनिश्चित करते हैं कि कानून का पूरी तरह से पालन हो। जब मंत्रियों के विरुद्ध सतर्कता संबंधी जाचों की बात हो तो मुख्य सचिव ही मंत्री के विरुद्ध शिकायत को देखते हैं। मुख्य सचिव, कार्मिक प्रशासन के भी प्रभारी मुखिया होते हैं इसलिए वे मुख्यमंत्री के मुख्य सलाहकार के रूप में कार्य करते हैं साथ ही साथ वे राज्य मंत्री परिषद के समन्वयक भी होते हैं। श्री एल. बी. सुब्रमण्यम ने क्षेत्रीय सिविल सेवा बोर्ड को संस्थागत करने का सुझाव दिया ताकि सर्वोत्तम प्रथाओं सहित इस कार्य क्षेत्र का ज्ञान विभिन्न राज्य सरकारों के साथ साझा किया जा सके।

इसके अतिरिक्त, तेजी से निर्णय लेने के प्रारूपों और सूचनाओं के संग्रह में प्रौद्योगिकी से हमें मदद मिलती है। सिविल सेवकों को सिद्धांतों को प्रतीक के रूप में देखा जाता है इसलिए उन्हें ना सिर्फ ज्ञान योगी बल्कि कर्म योगी के रूप में भी कार्य करना चाहिए। इस प्रकार उनकी प्रशासनिक कुशलता एक सशक्त नैतिक ढांचे के भीतर संघटित की जानी चाहिए।

दूसरी वक्ता थीं श्रीमती केशनी आनंद अरोड़ा, वह भी हरियाणा सरकार की पूर्व मुख्य सचिव रह चुकी हैं। उन्होंने राज्य में चल रही वर्तमान गतिविधियों पर टिप्पणी की और कहा कि मुख्यमंत्री और अन्य मंत्रियों के साथ अच्छा समन्वय मुख्य सचिव करते हैं मुख्य सचिव को एक टीम दी जाती है जिसे वे शिष्ट दलों और योजनाओं की निगरानी के लिए अपने साथ रखते हैं। वे हमेशा स्पष्ट संवाद करते हैं और शासन प्रक्रियाओं में पारदर्शिता सुनिश्चित करते हैं। मुख्य सचिव के सरकारी अधिकारियों का विश्वास बनाए रखना होता है और उनके साथ काम करने में हमेशा निष्पक्ष रहना होता है। संकट के समय यह अनिवार्य हो जाता है कि मुख्य सचिव, स्वास्थ्य विभाग, आपदा प्रबंधन, संकट प्रबंधन एवं अन्य विभागों का प्रबंधन करें अपने सहकर्मियों को समयसमय पर प्रेरित कर - और आलोचना करके वे सरकार के कामकाज को सुचारू रखते हैं इस प्रकार उनके अधीनस्थ काम करने वाले अधिकारी उन्हें प्यार भी करते हैं और उनसे डरते भी हैं जो विधि व्यवस्था लागू करने में बहुत मददगार होता है श्रीमती केशनी आनंद अरोड़ा ने मौजूदा समय में महामारी के लंबे समय तक जारी रहने के दौरान मुख्य सचिवों के समक्ष प्रवासी मजदूरों, मास्क और पीपी किट की कमी, स्वास्थ्य कर्मियों के प्रशिक्षण, सतर्कता निर्माण, खाद सुरक्षा जैसी तात्कालिक समस्याओं जिनसे समाज को आने वाले समय में प्रभावित होने का खतरा था का भी उल्लेख किया जिनमें त्वरित कार्रवाई की आवश्यकता थी। हाल के समय में राज्य प्रशासन में प्रौद्योगिकी और मीडिया के बढ़ते महत्व से शासन के नएनए आयाम सृजित - हो रहे हैं लेकिन यह दो धारी तलवारें हैं जिनसे लाभ भी है और हानि भी। अंत में उन्होंने प्रत्येक स्तर पर एक ठोस चैनल बनाने का सुझाव दिया जिससे कि मुख्य सचिव समस्या के समाधान के लिए आवश्यक एवं त्वरित कार्रवाई कर सकें। श्रीमती केशनी आनंद अरोड़ा ने अपनी बात को समाप्त करते हुए कहा कि मुख्य सचिव को पदस्थापना के समय कार्यकाल की सुरक्षा प्रदान की जानी चाहिए ताकि वे विकास कार्यों की योजना बना सकें और उन्हें निष्पादित कर सकें।

v. ''नागरिक केंद्रित शासन आधार से जुड़ी-प्रदायग सेवाएं और उन्नत सेवा ी'' पर 24 दिसंबर 2020 को वेबिनार

श्री वी. श्रीनिवास ने सभी प्रतिभागियों का हार्दिक स्वागत किया और दिवंगत श्री अटल बिहारी वाजपेई को श्रद्धांजलि अर्पित की। उन्होंने कहा इस वेबिनार में नागरिक केंद्रित शासन की चर्चा होगी जिसमें कम से कम देरी हो और अधिक से अधिक सुविधा हो। ऐसा शासन निर्धारित मानकों और नियमों के आधार पर चलता है जो प्रौद्योगिकी के प्रयोग से और आसान बन जाता है जिससे नागरिकों के लिए प्रणाली और सुगम बन जाती है। आज की दुनिया में बहुत सारी योजनाओं में पहचान की अनिवार्यता शामिल होती है इसलिए

आधार की अनिवार्यता होती है। उन्होंने श्री राम सेवक शर्मा की भी प्रशंसा की जिन्होंने आधार की वैश्विक स्वीकार्यता के लिए अथक प्रयास किया है। अंत में श्री वी. श्रीनिवास ने प्रशासनिक सुधार और लोक शिकायत विभाग के 2019 के नागपुर संकल्प का उद्धरण दिया जिसका लक्ष्य था बेहतर शासन के लिए बेहतर सेवा प्रदायगी और मानकों की स्थापना। इस वेबिनार में दो प्रख्यात वक्ताओं ने शामिल होकर इस वेबिनार की शोभा बढ़ाई। वे स्वयं भी और सरकार में वरिष्ठ पदों पर कार्य कर चुके हैं। पहले वक्ता थे श्री राम सेवक शर्मा जो MEITY और UIDAI के पूर्व मुख्य सचिव और TRAI के पूर्व अध्यक्ष हैं। उन्होंने बेहतर शासन के साधन के रूप में 'आधार' के बारे में अपने विचार साझा करने का अवसर देने के लिए राष्ट्रीय सुशासन केंद्र को धन्यवाद दिया। इसका एक उदाहरण होगा राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केंद्र द्वारा संचालित आधार से जुड़ा हुआ अटेंडेंस पोर्टल जिसका कई राज्य प्रयोग करते हैं। इसके बाद उन्होंने आधार के प्रयोग से देश में गणना (कम्प्युटेशन) और कनेक्टिविटी में तेजी से वृद्धि की बात कही। इससे लाखों आंकड़ों का प्रसंस्करण बहुत कम समय में हो जाता है जिससे बड़े पैमाने पर शासन प्रदायगी होती है उन्होंने आगे कहा कि क्योंकि प्रत्येक कार्य क्षेत्र में एक आइडेंटिटी प्रूफ की आवश्यकता होती है, इसलिए ऐसे सभी कार्य क्षेत्रों के लिए आधार हाईएस्ट कॉमन फैक्टर बन गया है जो सर्वोत्कृष्ट है। इसके बाद उन्होंने 2015 में शुरू किए गए JAM ट्रिनिटी की चर्चा की जिसकी मदद से भारत ऑफलाइन से ऑनलाइन हुआ। जनधन योजना के कारण भारत की 81% जनसंख्या के पास बैंक खाता है जिससे अन्य सुविधाओं के साथसाथ सब्सिडी और प्रत्यक्ष लाभ - हस्तांतरण (DBT) आसानी से हो जाता है इन खातों से आधार को जोड़ने से एक वैश्विक वित्तीय एड्रेस का सृजन हुआ है जिससे प्रमाणन पेपरलेस, कैशलेस और प्रजेंसलेस हो सकता है उन्होंने आगे कहा कि आज के समय में इंटरनेट नवाचार के लिए एक खुला मंच बन गया है जो किफायती भी है और सशक्त भी। इसका प्रयोग सशक्त शासन तंत्र बनाने में किया जा सकता है। उन्होंने अपनी बात को यह कहते हुए समाप्त किया कि चूंकि जिला अधिकारी जमीनी स्तर पर कार्य कर रहे हैं और समस्या को करीब से देख रहे हैं इसलिए वे आधार जैसी उभरती हुई प्रौद्योगिकियों का प्रयोग कर नवाचार के लिए अच्छी स्थिति में होते हैं। इसके आधार के और बेहतर कार्यान्वयन में भी सहयोग मिलेगा।

दूसरे वक्ता थे श्री एस.एस. क्षत्रिय जो सेवा का अधिकार आयोग के अध्यक्ष और महाराष्ट्र सरकार के पूर्व मुख्य सचिव हैं। उन्होंने अपनी बात शुरू करते हुए कहा कि महाराष्ट्र सरकार ने 2015 में आधार से जुड़ी सेवाओं की प्रदायगी के लिए "आपकी सेवा हमारा कर्तव्य" शीर्षक के साथ "महाराष्ट्र लोक सेवाओं का अधिकार अधिनियम" शुरू किया। सभी लोक सेवाओं के प्रदायगी के लिए उनका "आपले सरकार" नाम का एकल प्लेटफार्म है। इसे https://aaplesarkar.mahaonline.gov.in पर देखा जा सकता है! इस अधिनियम के कुछ उद्देश्य हैं जैसे -पारदर्शिता,जवाबदेही, समय बद्धता, दक्षता और सूचना प्रौद्योगिकी के प्रयोग पर जोर। एक योग्य व्यक्ति को लोक सेवाओं का लाभ लेने का अधिकार प्राप्त हुआ है। इसकी कुछ अन्य विशेषताएं भी हैं जैसे बेहतर सेवा प्रदाय की के लिए प्रत्येक आवेदन के लिए एक यूनिक नंबर देना। इस अधिनियम के तहत महाराष्ट्र के नागरिक अंक प्रमाण पत्र एवं अन्य प्रमाण पत्रों,

भूमि के अभिलेखों और की ऑनलाइन रसीदों के लिए आवेदन कर सकते हैं बिजली और पानी के कनेक्शन के लिए आवेदन कर सकते हैं और भवन निर्माण के लिए अनुमति ले सकते हैं इत्यादि। He उन्होंने आगे कहा कि इस अधिनियम के तहत 486 सेवाओं को सूचीबद्ध किया गया है। इस अधिनियम के सुगम कार्यान्वयन के लिए आरटीएस मोबाइल एप्लीकेशन शुरू किया गया है जो महाराष्ट्र के एंड्रॉयड और आईओएस उपभोक्ताओं के लिए मुफ्त में उपलब्ध है। पिछले साल की रिपोर्टों के अनुसार पेपरलेस फॉर्मेट में सभी दस्तावेजों को प्राप्त करने के लिए 30,878 सेवा केंद्र थे। उन्होंने कहा कि पूरे राज्य में के शहरी और ग्रामीण इलाकों में ये सेवा केंद्र मौजूद हैं। 2015 से लोक सेवाओं के लिए कुल 9,21,49,121 ऑनलाइन आवेदन प्राप्त हुए जिनमें 99% आवेदनों का निपटान किया जा चुका है। कोविड-19 महामारी के समय 22 अप्रैल, 2020 से 22 दिसंबर, 2020 के बीच कुल 95,22,933 आवेदन प्राप्त हुए और 86,50, 702 अर्थात 90.84% आवेदनों का निपटान किया गया। लाल,अंबर और हरा (आर ए जी) फ्रेमवर्क तैयार किया गया है ताकि विभागोंको मासिक प्रदर्शन के आधार पर श्रेणीबद्ध किया जा सके। हराउत्कृष्ट प्रदर्शन के - लिए, अंबर- अच्छे प्रदर्शन के लिए और लाल - खराब प्रदर्शन के लिए। इससे प्रदर्शन में सुधार लाने के लिए विभागों में एक स्वस्थ प्रतिस्पर्धा शुरू हुई है और लाल की श्रेणी में आने वाले विभागों की संख्या घट रही है।

उन्होंने अंत में कहा कि महाराष्ट्र सरकार ने 120.3 .2018 से जिलाधिकारी को आरटीएस का कंट्रोलिंग ऑफिसर घोषित कर दिया है प्रत्येक कलेक्टर जिले में आरटीएस के कार्यान्वयन की निगरानी, समीक्षा और देखरेख करता है। कलेक्टर को इस कार्य के लिए डैशबोर्ड उपलब्ध कराया गया है और किसी नए सेवा केंद्र को स्वीकृति देने या किसी सेवा केंद्र बंद करने का अधिकार कलेक्टर के पास होता है।.

VI. ‘’आपदा प्रबंधनजोखिम घटाने और तैयारी - प्रतिक्रिया - तथा’’ पर 8 जनवरी 2021 को वेबिनार

सुशासन के महत्व के संबंध में श्री वी. श्रीनिवास ने उद्घाटन भाषण दिया। उसके बाद उन्होंने वक्ताओं और सहभागियों का हार्दिक स्वागत किया। उन्होंने राजस्थान कैडर में रहते हुए अपने अनुभव को साझा किया जहां बाढ़ एक सामान्य घटना थी और बाढ़ बाहुल्य क्षेत्र कार्यक्रम एक सामान्य अभियान होता था। एनडीआरएफ की स्थापना के समय ही संकट प्रबंधन के लिए एक विस्तृत संस्थागत रूप रेखा बनी और इसके प्रभाव को श्रीनगर में आई बाढ़ अम्फान चक्रवात या ऐसी घटनाओं के दौरान बचाव अभियानों की सफलता स्पष्ट रूप से देखा जा सकता है। इसके बाद श्री वी. श्रीनिवास ने सेना की सेवाओं के लिए सम्मान व्यक्त किया उन्होंने प्रतिभागियों को एनसीजीजी की पूर्व ही सफल कार्यशाला के विषय में भी बताया जिनमें अंतर्राष्ट्रीय प्रतिनिधिमंडल और आकांक्षी जिलों के जिला कलेक्टर शामिल थे उन्होंने अपने भाषण के

अंत में दो अधिवक्ताओं को धन्यवाद दिया और कहा कि उनके अथक प्रयासों के कारण ही आपदा प्रबंधन के अल्पकालिक और दीर्घकालिक परिप्रेक्ष्यों में भारी बदलाव हुआ है। It भारत सरकार में वरिष्ठ पदों पर कार्य कर चुके दो वक्ताओं ने वेबिनार की शोभा बढ़ाई। पहले वक्ता थे डॉक्टर वीतिरूपुगज . जो आपदा प्रबंधन प्राधिकरण के अपर सचिव हैं उन्होंने कहा कि आपदाएं कभी प्राकृतिक नहीं होती बल्कि मानव जनित होती हैं। उनके अनुसार संकट प्राकृतिक होते हैं और यह कु - प्रबंधन के कारण आपदा में परिवर्तित हो जाते हैं उनका ध्यान आपदा प्रबंधन की तकनीकों के बजाय इसके सिद्धांत पर था। इसके बाद उन्होंने विस्तार से बताया कि कैसे पूरी दुनिया आपदाओं से दिन प्रतिदिन अधिक प्रभावित हो रही है जिससे बड़े पैमाने पर क्षति होती है और आर्थिक हानि होती है। आपदा प्रबंधन एक प्रतिक्रियाशील दृष्टिकोण (रिएक्टिव एप्रोच) बन गया है इसलिए आपदा के खतरों को कम करने पर ध्यान होना चाहिए और आपदा की तैयारी की जनभावना का विकास होना चाहिए ताकि आपदा के प्रति संवेदनशील समाज का निर्माण हो। बढ़ती हुई जनसंख्या और संपत्ति ने आपदा के प्रभावों को और गंभीर बना दिया है जिससे आर्थिक और सामाजिक अस्थिरता की स्थिति उत्पन्न हो जाती है। अनियोजित विकास को नियमित करना भारत के लिए एक बहुत बड़ी समस्या बन गई है आपदा से सबसे अधिक प्रभावित होने वाले दुनिया के शीर्ष 5 देशों में भारत शामिल हो गया है। इस प्रकार उन्होंने यह बताया कि हमारे देश को क्षमता निर्माण को बढ़ाने और खतरों को कम करने पर ध्यान केंद्रित करना चाहिए। जोखिम प्रबंधन और बिल्डिंग बैक बेटर (बट नॉट सिमिलर) के विषय में2015 का सेंडाई फ्रेम वर्क (sendai framework) काफी मददगार सिद्ध हो सकता है। पुनर्निर्माण कार्य सूक्ष्म क्षेत्र अध्ययन, हानियों के विश्लेषण और खतरों के मूल्यांकन के माध्यम से जोखिम का पता लगाकर ही किया जाना चाहिए। उन्होंने अंत में कहा कि हमें आजीविका के ठोस साधनों का निर्माण करने की आवश्यकता है जिसमें अलगअलग - समुदाय शामिल हों। पर्याप्त शोध के माध्यम से योग्य मानव संसाधन को एक साथ लाया जाए जो ज्ञान ना सिर्फ सृजन करें बल्कि प्रसार भी करें।दूसरे वक्ता राष्ट्रीय आपदा मोचन बल (एनडीआरएफ), सरकार के महानिदेशक श्री एस.एन. प्रधान थे। उन्होंने एनडीआरएफ का संक्षिप्त परिचय देते हुए कहा कि इसकी स्थापना 2006 में की गई थी। जिसमें तब 8 बटालियन थे जो आज बढ़कर 12 हो गए हैं इसमें बीएसएफ और सीआरपीएफ के 3-3 बटालियन सीआईएसएफ, आईटीबीपी और एसएसबी के 2-2 बटालियन प्रतिनियुक्त हैं। प्रत्येक बटालियन में 1149 सदस्य हैं और हाल ही में जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड और राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र (एनसीआर) के लिए सरकार ने एनडीआरएफ के4 अतिरिक्त बटालियन आइटीबीपी की दो असम)राइफल की एक और बीएसपी की एकको अनुमोदित किया (है।उन्होंने आगे कहा कि राष्ट्रीय आपदा मोचन बल (एनडीआरएफ) की स्थापना के लिए संवैधानिक प्रावधान के रूप में"आपदा प्रबंधन अधिनियम, 2005" लागू किया। इसका उद्देश्य था 2005 से प्राकृतिक और मानव निर्मित आपदाओं पर विशिष्ट प्रतिक्रिया। आपदा प्रबंधन अधिनियम को लागू करना

नीति कानून और संस्थागत रूप रेखा का निर्माण करना है जो प्रभावी और वैधानिक वित्तीय सहायता समर्थित है। प्रतिक्रियात्मक और राहत केंद्रित अप्रोच में बहुत बड़ा बदलाव आया है और अब समग्र और एकीकृत अप्रोच हो गया है जिसमें रोकथाम, खतरे को घटाने तथा तैयारी पर जोर दिया जाता है। एनडीआरएफ राज्य आपदा मोचन बल (एसटीआरएफ) (पुलिस सिविल, डिफेंस और होमगार्डको बुनियादी बेसिक ट्रेनिंग और (ऑपरेशन लेवल ट्रेनिंग देती है तथा ण एवं तैयारी सामुदायिक सामुदायिक प्रशिक्ष क्षमता निर्माण में भी मदद करती है इस बल के सदस्यों को केंद्रीय उत्कृष्ट सशस्त्र पुलिस बल से प्रभार में लिया गया है। आपदा के दौरान एनडीआरएफ के साथसाथ अग्निशमन दल - के कर्मी तथा पुलिस बल भी सहायता करते हैं। हाल ही में प्रधानमंत्री ने बाढ़ को नियंत्रित करने के लिए एनडीआरएफ और विभिन्न राज्यों के मुख्यमंत्रियों के साथ एक के बाद एक दो लगातार बैठकें कीं। उन्होंने बताया कि एनडीआरएफ के कर्मी पूरी तरह से प्रशिक्षित होते हैं तथा ढही हुई इमारतों से खोज और बचाव (collapsed structure search and response,CSSR) और अन्य अभियान जैसे एमएफआर मेडिकल फर्स्ट सपोर्ट, सीबीआरएन, आपातकालीन प्रतिक्रिया, बाढ़ आपदा, पहाड़ पर खोज और बचाव दीप ड्राइविंग खोज और बचाव पशु आपदा प्रतिक्रिया, कुत्तों की और तकनीकी खोज इत्यादि में सक्षम होते हैं एनडीआरएफ ने हाल ही में अरुणाचल प्रदेश, असम, बिहार, गुजरात, कर्नाटक, केरल, महाराष्ट्र और उत्तर प्रदेश में आई बाढ़ की आपदा में बहुत मदद की। एनडीआरएफ ने एयर इंडिया प्लेन दुर्घटना निसर्ग चक्रवात अम्फान सुपर साइक्लोन, विशाखापत्तनम में गैस रिसाव, नागपुर और राजस्थान में बोरवेल दुर्घटना, बुलबुल चक्रवात और अन्य आपदाओं के साथसाथ कुंभ मेले में भी मदद की। एनडीआरएफ - ने2006 से 5592 अभियान चलाकर 131847 लोगों की जान बचाई है।

VII.''जिला स्तर पर डिजिटल शासन में उत्कृष्टता'' पर 21 जनवरी 2021 को वेबिनार

श्री वीश्री.निवास में उद्घाटन भाषण देते हुए सभी प्रबुद्ध प्रमुख वक्ताओं का स्वागत किया और इस बात को बताया कि कैसे इस महामारी ने आधार समर्थित भुगतान प्रणाली, भीम एप माईगव और डिजी लॉकर जैसी एकीकृत लक्ष्य सेवा इंटीग्रेटेड) सर्विस डिलीवरी) प्रदान करने वाली डिजीटल एंड सेवाओं के महत्व को हमारे सामने ला दिया है। इससे उन्नत नागरिक केंद्रित सेवा प्रदायगी में मदद मिली है। ऑनलाइन पेमेंट की सुविधाओं और एस एम एस के माध्यम से सर्विस अपडेट की मदद से डिजिटल डिवाइस को कम किया है और नागरिकों को यह अवसर दिया कि वह सरकार द्वारा प्रदान की जाने वाली सेवाओं का लाभ उठा सकें उन्होंने अंत में ही पुरस्कार विजेताओं को बधाई दी। पहले मुख्य वक्ता थे कमरेड्डी तेलंगाना के जिला कलेक्टर डॉए. सारथ। .उन्होंने कहा कि वे एनसीजीजी के मंच पर आकर सौभाग्यशाली महसूस कर रहे हैं। उनके नेतृत्व में जिला प्रशासन ने एक ऑनलाइन प्लेटफॉर्म बनाया है जो सरल, सुलभ, उत्तरदायी और प्रभावी है। यह सुनिश्चित किया जाता है कि सभी पक्षों को ध्यान में रखते

हुए संदर्भ के साथ इसे अद्यतन किया जाए लक्ष्य है एक ऐसी मानकीकृत सूचना रूपरेखा तैयार करना जो सुरक्षित हो और सुगम हो। इस साइट को किसी भी डिवाइस पर खोला जा सकता है और यह दिव्यांगों के अनुकूल है महत्वपूर्ण सेवाओं के लिए एक्सटर्नल लिंक हैं जिनमें विभागवार 5 साथ स्कीमों-विवरण के साथ, योजनाओं और सरकारी पहलों का भी वर्णन है। इसमें कोविड-19 महामारी के दौरान कोविड से लड़ने के लिए मानक संचालन प्रक्रिया)स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजरभी (उपलब्ध कराया गया है। प्रयोक्ताओं को ध्यान में रखते हुए इसे पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए भी प्रयोग किया जाता है। सूचना को अद्यतन करने के लिए प्रतिपुष्टि फीडबैक भी मांगा जाता है। यह वेबसाइट विश्व बैंक द्वारा दिए सुशासन संबंधी8 स्तंभों को लक्षित करता है।

दूसरे मुख्य वक्ता थे जिला चालांग, अरुणाचल प्रदेश के जिला कलक्टर डॉ. देवांश यादव। उन्होंने कहा यह भारत के सबसे पूर्वी जिलों में से एक है, जिले के अधिकांश हिस्से में इंटरनेट कनेक्शन नहीं है। इसलिए उन्होंने जिले की सभी सूचनाओं और सेवाओं के लिए एक होम पेज तैयार किया है। इससे ही सेवाओं का लाभ लेने, विभागों की योजनाओं और पर्यटन से जुड़ी जानकारी लेने में समय कम लगता है। इसमें जन्म, मृत्यु और विवाह प्रमाण पत्र के फार्म भी उपलब्ध हैं जिन्हें डाउनलोड किया जा सकता है। वे नागरिकों को रियल टाइम बेसिस पर इनर लाइन परमिट प्रदान करते हैं। शिकायत निवारण भी किया जाता है और कॉल रिकॉर्डिंग करके यह पता लगाया जाता है कि कहीं समस्या का समाधान पहले ही तो नहीं गया है। क्योंकि सारी प्रापण (प्रोक्योरमेंट) रसीदें ऑनलाइन इसलिए सभी विक्रेताओं को पारदर्शिता मिलती है नागरिकों की सहायता हेतु योजनाओं को निरंतर अद्यतन किया जाता है, छात्रों के लिए कैरियर काउंसलिंग की जाती है, किसानों का समूह तैयार किया जाता है और लोगों की जानकारी के लिए राज्य की अनोखी चीजें दिखाई जाती हैं ताकि पर्यटन को बढ़ावा मिले। महामारी के दौरान यह बहुत उपयोगी सिद्ध हुआ क्योंकि इसका प्रयोग करके ईपास बनाया गया-, प्रेस विज्ञप्तियां जारी की गईं। और कोविड-19 से जुड़ी जानकारी जनता तक पहुंचाई गई।

viii.''लबासना संस्था निर्माण एवं आईएएस - अधिकारियों में क्षमता निर्माण की आवश्यकता की पूर्ति'' पर 27 जनवरी 2021 को वेबिनार

एनसीजीजी ने लबासनासंस्था निर्माण एवं - आईएएस अधिकारियों के क्षमता निर्माण की आवश्यकताओं की पूर्ति पर एक बेबिनार आयोजित डी ए आर पी जी जिसकी अध्यक्षता अपर सचिव .एवं महानिदेशक एनसीजीजी श्री वी श्रीनिवास ने की। इस वेबिनार के प्रमुख वक्ता थे निदेशक, लबासना डॉक्टर संजीव चोपड़ा। वेबिनार का संचालन प्रोफ़ेसर पूनम सिंह एनसीजीजी ने किया। इस वेबिनार में सभी आईआईएम के लोक प्रशासन राजनीति विज्ञान एवं समाजशास्त्र के प्रमुख संकायों, देश के 100 से अधिक विश्वविद्यालयों, 117 आकांक्षी जिलों तथा भारत सरकार के वरिष्ठ अधिकारियों ने भाग लिया।

IX.''जिला स्तर पर प्रशासनिक नवाचार'' पर 12 फरवरी 2021 को बेबिनार

इस वेबिनार की अध्यक्षता अपर सचिव, डीएआरपीजी एवं महानिदेशक, एनसीजीजी श्री वीश्री.निवास ने की।.

इस वेबिनार का विशेष संबोधन निदेशक, प्रणालियों में नवाचार केंद्र, डॉक्टर हर्ष शर्मा द्वारा दिया गया। उन्होंने कहा कि तेरहवीं वित्त आयोग की सिफारिश पर इस केंद्र की स्थापना की गई थी ताकि यह जन प्रणालियों में शासन के परिवर्तन में उत्प्रेरक का कार्य करे। इस केंद्र का उद्देश्य जन प्रणालियों में नवाचार को बढ़ावा देना है। इस प्रकार उन्होंने सेवा नवाचारों, सेवा प्रदायगी नवाचारों, प्रशासनिक नवाचारों, सिस्टम नवाचारों और नीति नवाचारों के संदर्भ में केंद्र द्वारा व्यापक रूप से लक्षित नवाचारों के प्रकारों का वर्णन किया। उनका यह भी मत है कि इन नवाचारों को प्रक्रिया में शामिल अवधारणाओं और साधनों से लेकर सीखों पर आधारित निगरानी और मूल्यांकन प्रणाली तक ठीक से लिखित किए जाने की आवश्यकता है जो अंततः मौजूदा ज्ञान के नए उपयोग के साथ कार्यप्रणाली में बदलाव लाता है। श्री बी श्रीनिवास ने इस वेबिनार में शामिल होने के लिए अपर सचिव, डेवलपमेंट पार्टनरशिप एडमिनिस्ट्रेशन (डीपीए), विदेश मंत्रालय श्री अखिलेश मिश्रा और आईटीईसी टीम का आभार व्यक्त किया। इसके पश्चात उन्होंने इस वेबिनार में अपने प्रशासनिक नवाचारों की विषय में चर्चा करने वाली सभी जिला कलेक्टरों का स्वागत किया। श्री वी. श्रीनिवास ने इन नवा चारों के बारे सभी सहभागियों को बताया और कहा कि इन्हें पहले ही कैबिनेट सचिव के समक्ष पेश किया जा चुका है और देश में सर्वोत्तम होने के लिए उनकी प्रशंसा भी की। उन्होंने अन्नुपुर के जिला कलेक्टर श्री चंद्रमोहन ठाकुर को उनके सराहनीय कार्य की प्रशंसा की। इसके बाद उन्होंने अपने इंफाल दौरे का अनुभव साझा करते हुए बताया कि किस प्रकार से एक युवा जिला कलेक्टर ने महिलाओं विशेषकर छात्राओं को सस्ते सैनिटेशन पैड उपलब्ध करा कर व्यक्तिगत स्वच्छता पर्सनल हाइजीन के क्षेत्र में बड़े पैमाने पर कार्य किया है। इन सभी बातों की प्रशंसा करते हुए श्री वी. श्रीनिवास ने इस पर वेबिनार के महत्व को समझाया क्योंकि मौजूदा श्रृंखला में नवाचारों के क्षेत्र में यह पहला बेबिनार है। उन्होंने दिन की पहली वक्ता जिला नारायणपत, तेलंगाना की जिला कलेक्टर श्रीमती हरिचंदना देसरी को आमंत्रित किया। पहली वक्ता जिला नारायणपत, तेलंगाना की जिला कलेक्टर श्रीमती हरिचंदना देसरी थीं। उन्होंने "पल्ले प्रगति" एप्लीकेशन पेश किया जो ग्राम स्तर पर परिवर्तन लाता है। इस एप्लीकेशन का लक्ष्य ग्राम स्तर पर और अवसंरचना और बुनियादी सुविधाएं प्रदान करना, ग्राम स्तर के कर्मचारियों का क्षमता निर्माण करना, व्यवहार परिवर्तन और ग्राम स्तर पर प्रभावी शिकायत निवारण प्रदान करना है। इस ऐप में पानी की टंकियों की सफाई, ग्राम सभा के आयोजन, संबंधी ग्रामों के अभिलेखों का संधारण, अनुमति, जारी किए गए प्रमाण पत्र, संबंधित पंचायत का राजस्व, व्यय और अन्य कार्यकलापों की मासिक अभिलेख संधारित होते हैं। उपर्युक्त विषयों पर प्राप्त रिपोर्टों को निरीक्षण ऐप पर अग्रेसित कर किया जाएगा जहां निरीक्षण करने

वाले अधिकारी इनको प्रमाणित करेंगे। यह एक संबंधित अधिकारियों के रोज के कार्यकलाप के लिए बनाया गया है और कार्य की प्रगति या समाप्ति पर फोटो और वीडियो भी डाली जाती है। जांच अधिकारी अपने स्तर पर ग्राम वासियों से प्रतिक्रिया लेकर सेवाओं की प्रदायगी के प्रभाव की जांच करेंगे। वे कूड़ेदानों के उपयोग, पौधशाला और उद्यानों के रखपंचायतों के रखाव संबंधित ग्राम- वित्तीय लेनदेन और संबंधित ग्राम पंचायत द्वारा जारी किए गए चेक के प्रमाणन जैसे विषयों की भी जांच करेंगे। विद्यालयों और छात्रावासों का प्रबंधन इस एप से करने के अतिरिक्त औसतन 118 ऐसे मुद्दे थे जिन्हें जांच अधिकारियों ने पिछले दो महीनों में सुलझाया। दूसरे वक्ता थे जिला अनूपपुर, मध्य प्रदेश के जिला कलेक्टर श्री चंद्र मोहन ठाकुर। उन्होंने कहा कि शिक्षा भी क्षेत्र के विकास का एक सशक्त साधन है विशेषकर एक जनजातीय जिले में जहां सामाजिक और आर्थिक रुप से सबसे पिछड़े समुदायों के लोग रहते हैं और यही कारण है कि उन्होंने "हाइब्रिड ऑनलाइन-फलाइन स्मार्ट क्लासऑ" मॉडल पर एक ऐप एड-टेक (Ed-Tech) सॉल्यूशन पेश किया जिसमें हमारे सरकारी विद्यालयों और शिक्षकों की स्थिति सुधारने के लिए सक्षम प्रौद्योगिकी की है हमें एक अत्याधुनिक (स्टेट ऑफ द आर्ट) प्रौद्योगिकी की आवश्यकता थी ताकि गांव केछात्र शहरी और प्रौद्योगिकी के प्रयोग में दक्ष छात्रों के साथ प्रतिस्पर्धा कर सकें। प्रौद्योगिकी के प्रयोग से जिले की अधिकारी किसी भी कक्षा, छात्रावास, वीडियो लेक्चर और अन्य सुविधाओं को आसानी से देख सकते हैं। जिला के अधिकारियों ने कौन बनेगा करोड़पति क कार्यक्रम भी (केबीसी) के तर्ज पर ए शुरु किया है ताकि छात्रों को उत्साहित किया जाए और कक्षा के तुरंत बाद छात्रों के ज्ञान का मूल्यांकन किया जा सके। यह निर्माण स्पष्ट परिणामों के आधार पर लिया जाना था ना कि जिला कलेक्टर होने की भावना मात्र पर। इस बीच नवाचार के प्रयोग से जिले में काफी सुधार हुए हैं जैसे कि प्रथम श्रेणी में उत्तीर्ण होने वाले छात्रों का प्रतिशत पिछले साल की तुलना में इस साल बढ़ गया कम छात्र अनुत्तीर्ण हुए, साक्षरता दर में बृद्धि आई, कक्षा में उपस्थित अधिक रही और सरकारी विद्यालयों के छात्रों ने भी टॉप किया।

तीसरी वक्ता थीं सुश्री खुमंथम दियाना देवी जो पूर्वी इंफाल, मणिपुर की उपायुक्त हैं। उन्होंने कहा कि मासिक धर्म में (मेंस्ट्रुएशन) किशोरियों और महिलाओं में होने वाली एक सामान्य, प्राकृतिक जैविक प्रक्रिया है। 15 से 24 वर्ष आयु समूह में 32% सैनिटरी नैपकिन का इस्तेमाल करती हैं, 68 % कपड़ा का स्थानीय स्तर पर बनाए गए नैपकिन और 71% का कहना है कि उन्हें अपना पहले मासिक धर्म आने से पहले तक इसकी कोई जानकारी नहीं थी। आशा कार्यकर्ता किशोरियों के लिए माहवारी संबंधी जागरूकता बैठकें आंगनबाड़ी केंद्रों तथा ऐसे अन्य स्थानों पर आयोजित करती हैं ताकि उन्हें माहवारी संबंधी स्वच्छता और ऐसे ही अन्य प्रासंगिक विषयों की जानकारी के लिए एक मंच प्राप्त हो सके। आशा कार्यकर्ताओं पर जिला स्वास्थ्य विभाग द्वारा मुफ्त में उपलब्ध कराए गए सेनेटरी पैड का वितरण करने की जिम्मेदारी होती है। स्थानीय महिलाओं के समूह ने किफायती सेनेटरी पैड बनाने की विधि विकसित की है जिसकी मदद से स्वयं सहायता समूहों की महिलाएं स्थानीय स्तर पर सेनेटरी पैड का उत्पादन कर सकें और बेच सकें और उन समुदायों तक सस्ते दामों में पहुंचा सकें जहां पहुंचना मुश्किल है और जो समाज से कटे हुए हैं। लक्ष्य

यह है कि समाज के अधिक से अधिक महिलाओं के लिए माहवारी से जुड़े उत्पाद सस्ते दामों पर उपलब्ध हो। सेनेटरी पैड के प्रयोग से व्यक्तिगत स्वच्छता रहती है, निष्पादन में आसानी होती है तथा पर्यावरण स्वच्छता रखने में मदद मिलती है। सत्र का संचालन प्रोफेसर पूनम सिंह, एनसीजीजी ने किया। उन्होंने वेबिनार के सभी प्रख्यात वक्ताओं तथा सहयोगियों का आभार व्यक्त किया उन्होंने श्री वी.श्रीनिवास का विशेष रूप से आभार व्यक्त किया जो एनसीजीजी के महानिदेशक भी हैं और इस बेबिनार श्रृंखला के सूत्रधार हैं। उन्होंने अपर सचिव, डीपीए विदेश मंत्रालय, श्री अखिलेश मिश्रा का भी भारत के सामाजिकआर्थिक परिवर्तन-के लिए दिए गए उनके सुझावों के लिए आभार व्यक्त किया। इसके बाद उन्होंने इस श्रृंखला के दस्तावेजीकरण में सुझाव देने के लिए आईटीईसी प्रभाग का भी आभार व्यक्त किया। उन्होंने तेलंगाना के नारायणपत जिले की जिला कलेक्टर श्रीमती हरिचंदना दसारी का देश में माइक्रो गवर्नेंस पर दिए गए उनके विचारों के लिए आभार व्यक्त किया। प्रोफेसर पूनम सिंह ने अनूपपुर के जिला कलेक्टर का गुणवत्ता युक्त शिक्षा तथा साक्ष्य आधारित नीति निर्माण पर उनके द्वारा दिए गए विचारों के लिए आभार व्यक्त किया। प्रोफेसर पूनम सिंह ने इस अवसर पर पूर्वी इंफाल, मणिपुर की उपायुक्त सुश्री सुमंथम दियाना देवी का महिलाओं के स्वास्थ्य और उनकी स्वच्छता से जुड़े अद्भुत पहल के लिए आभार व्यक्त किया क्योंकि जेंडर सेन्सीटाइजेशन जिला आवधिक योजना का एक महत्वपूर्ण अंग है अंत में श्रीमती पूनम सिंह ने सभी पर प्रख्यात वक्ताओं, शिक्षाविदों, सहभागियों तथा सरकार के उच्च अधिकारियों का अपने व्यस्त कार्यक्रमों से समय निकालकर इस ज्ञानवर्धक और शैक्षणिक समूह में भाग लेने के लिए हार्दिक आभार व्यक्त किया।.

x."जम्मू एवं कश्मीर में प्रशासनिक नवाचार" पर 26 मार्च 2021 को वेबीनार

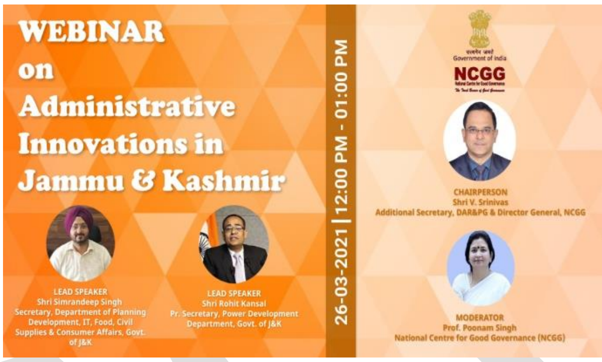

कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय के प्रशासनिक सुधार और लोक शिकायत विभाग ने मार्च 2021 से जून 2021 तक चलने वाले "भारत का अमृत महोत्सव" मनाने के लिए आठ कार्यक्रमों की तैयारी की है। आयोजनों की श्रृंखला की शुरुआत 26 मार्च 2021 को "जम्मू एवं कश्मीर में प्रशासनिक नवाचार" पर वेबिनार के साथ हुई जिसका आयोजन राष्ट्रीय सुशासन केंद्र ने किया था और इसकी अध्यक्षता अपर सचिव, प्रशासनिक सुधार और लोक शिकायत विभाग, भारत सरकार तथा महानिदेशक, राष्ट्रीय सुशासन केंद्र .(एनसीजीजी) श्री वी श्रीनिवास ने की।

आयोजनों की श्रृंखला की शुरुआत 26 मार्च 2021 को "जम्मू एवं कश्मीर में प्रशासनिक नवाचार" पर वेबिनार के साथ हुई जिसका आयोजन राष्ट्रीय सुशासन केंद्र ने किया था और इसकी अध्यक्षता अपर सचिव, प्रशासनिक सुधार और लोक शिकायत विभाग, भारत सरकार तथा महानिदेशक, राष्ट्रीय सुशासन केंद्र .(एनसीजीजी) श्री वी श्रीनिवास ने की।

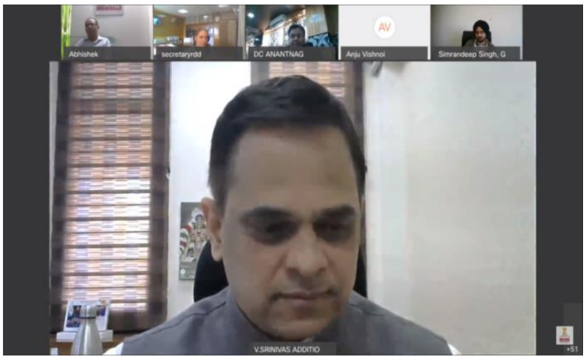

उद्घाटन भाषण श्री वी.श्रीनिवास ने दिया जहां उन्होंने जम्मू एवं कश्मीर सरकार द्वारा की गई शानदार पहलों की प्रशंसा की, क्योंकि इसका उल्लेख प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के "मन की बात" कार्यक्रम में भी हुआ था।

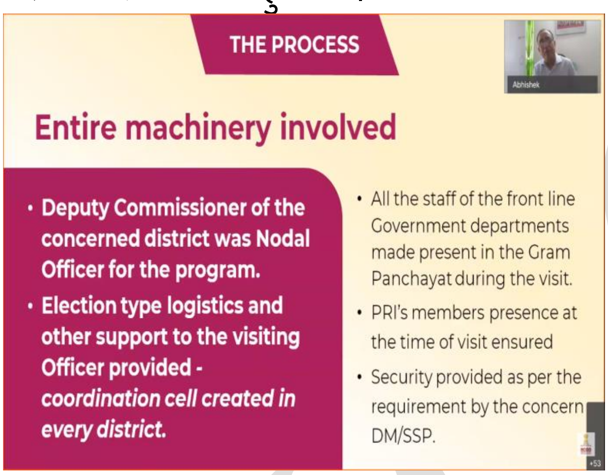

इस वेबिनार के प्रमुख वक्ता थे ऊर्जा विकास विभाग, जम्मू कश्मीर के प्रधान सचिव, श्री रोहित कंसल और सचिव, योजना आयोग विकास, सूचना, प्रौद्योगिकी आपूर्ति और उपभोक्ता मामले, जम्मू कश्मीर श्री सिमरनदीप सिंह।

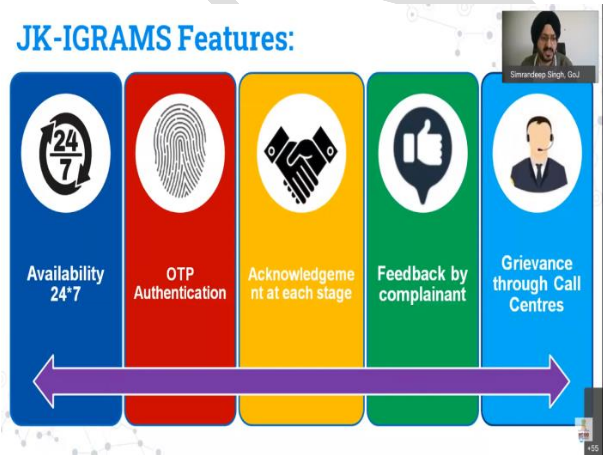

उन्होंने जन सेवा प्रदायगी में सुधार के लिए जम्मू एवं कश्मीर सरकार के जेकेआईजीआरएएमएस और "बैक टू विलेज" जैसी पहला की भूमिका के विषय में चर्चा की जहां एक और जेकेआईजीआईआरएएमएस ने यक दिखाया कि कैसे तकनीकी प्लेटफार्म कर प्रयोग लोक शिकायतों के निवारण के लिए किया जा सकता है वहीं दूसरी ओर "बैक टू विलेज" पहल ने यह दिखाया कि कैसे वरिष्ठ अधिकारियों के जमीनी स्तर पर हो रहे कार्यों से जुड़ने से पंचायतों को सशक्त बनाया जा सकता है। प्रोफेसर पूनम सिंह, एनसीजीजी ने वेबिनार का समापन करते हुए सबका धन्यवाद ज्ञापन किया और कहा कि ये नवाचारी पहलें उदाहरण पेश करेंगे और एक प्रशासनिक अधिकारी को गरीब जनता से जुड़ने और उनकी सेवा करने का अवसर प्रदान करेंगे सुशासन वेबिनार श्रृंखला अनुलग्नक -iv में सूचीबद्ध है।

एनसीजीजी, मसूरी में उपलब्ध सुविधाएं

भवन परिसर में विभिन्न संकायों के कक्ष, कर्मचारियों के लिए कार्यालय के स्थान, पुस्तकालय, कंप्यूटर प्रयोगशाला, सम्मेलन कक्ष, अतिथियों के लिए कमरे, भोजन कक्ष, रसोईघर और प्रतीक्षालय (लाउंज) हैं।

पुस्तकालय में शहरी और ग्रामीण नियोजन, पर्यावरण अध्ययन और एनसीजीजी द्वारा संचालित विभिन्न शोध अध्ययनों की रिपोर्टों का विशिष्ट संग्रह है। अकादमी के गांधी स्मृति पुस्तकालय की कंप्यूटरीकृत सूची और ग्रंथ सूची सेवाएं भी केंद्र के उपयोग के लिए उपलब्ध हैं।

कंप्यूटर प्रयोगशाला में 10 वर्क स्टेशन, डिजिटलीकरण और स्कैन करने की सुविधाएं, रंगीन प्रिंटर तथा वर्ड प्रोसेसिंग और सांख्यिकीय सॉफ्टवेयर हैं।

.

सम्मेलन कक्ष में 40 प्रतिभागी बैठ सकते हैं और यह मल्टीमीडिया सुविधाओं से लैस है।

एनसीजीजी के पदाधिकारीगण और संकाय सदस्य

श्री वी. श्रीनिवास, भारत सरकार के विशेष सचिव, कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय तथा महानिदेशक, राष्ट्रीय सुशासन केंद्र (जनवरी 2020 से आज की तारीख तक) : उन्होंने जुलाई 2017 से दिसंबर 2018 तक राजस्थान, अजमेर के राजस्व बोर्ड और राजस्थान कर बोर्ड के अध्यक्ष के रूप में कार्य किया है।वह 2017-19 के लिए अपनी पुस्तक "इंडियाज रिलेशन विथ् द इंटरनेशनल मोनेटरी फंड -25 यिर्ज़ इन परस्पेक्टिव" के लिए विश्व मामलों की भारतीय परिषद के फैलो हैं।वी. श्रीनिवास की दूसरी पुस्तक "टूवार्ड्स ए न्यू इंडिया - गवर्नेंस ट्रांसफॉर्मेड 2014-19" वर्ष 2019 में कोणार्क पब्लिशर्स द्वारा प्रकाशित की गई। उन्होंने कॉलेज ऑफ़ टेक्नोलॉजी उस्मानिया विश्वविद्यालय से केमिकल इंजीनियरिंग में मास्टर डिग्री प्राप्त की है। वह 22 वर्ष की आयु में 1989 में भारतीय प्रशासनिक सेवा में सम्मिलित हुएऔर उन्होंने 32 वर्षों की विशिष्ट सेवा है।उन्होंने उप निदेशक (प्रशासन) एम्स, महानिदेशक, भारत का राष्ट्रीय अभिलेखागार, संयुक्त सचिव,भारत सरकार, वस्त्र मंत्रालय, संयुक्त सचिव, भारत सरकार, संस्कृति मंत्रालय, सचिव,सरकारी वित्त और योजना विभाग, राजस्थान, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष (2003-2006) में भारत के कार्यकारी निदेशक के सलाहकार, भारत के वित्त मंत्री के निजी सचिव और विदेश मंत्री के निजी सचिव के रूप में कार्य किया है।उन्होंने लोक वित्त और लोक प्रशासन पर 162 आलेख/ शोध पत्र लिखे हैं और 63 व्याख्यान दिए हैं।वह सर्वोत्कृष्ट वरिष्ठ नीति निर्माता, शिक्षाविद और संस्था निर्माणकर्ता हैं।

प्रो. पूनम सिंह : राजनीतिशास्त्र में स्नातकोत्तर, ग्रामीण विकास में स्नातकोत्तर डिप्लोमा। डायरेक्ट ट्रेनर स्किल्स (डीटीएस), लाल बहादुर शास्त्री राष्ट्रीय प्रशासन अकादमी, मसूरी, डिजाइन ऑफ ट्रेनिंग (डीओटी), कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग, भारत सरकार तथा उत्तराखंड, लाल बहादुर शास्त्री राष्ट्रीय प्रशासन अकादमी, मसूरी। वह सामाजिक क्षेत्र विशेषकर आयोजना, मॉनीटरिंग, प्रशिक्षण और अनुसंधान क्षेत्र की विशेषज्ञा हैं। वह मुख्यालय, एनसीजीजी, नई दिल्ली में प्रशिक्षण नोडल अधिकारी हैं। उन्होंने गया कॉलेज, गया (मगध विश्वविद्यालय, बिहार) में 1990-94 तक लेक्चरर के रूप में कार्य किया है तथा वर्ष, 1998 से सितम्बर, 2005 तक बिहार शिक्षा परियोजना, डीपीईपी और सर्व शिक्षा अभियान में कार्य किया है। वह पूर्ववर्ती एनआईएआर, लाल बहादुर शास्त्री राष्ट्रीय प्रशासन अकादमी (अब एनसीजीजी) में अक्तूबर, 2005 से कार्य कर रही हैं तथा गवर्नेंस मामलों से संबंधित शोध, मॉनीटरिंग और प्रशिक्षण की विभिन्न परियोजनाओं का समन्वयन कर रही हैं। उनके प्रकाशन समुदाय शासन और शिक्षा क्षेत्र से संबंधित हैं। उन्होंने समुदाय शासन पर 20 मामला अध्ययन कार्य और 12 श्रेष्ठ कार्य प्रणालियों पर कार्य किए हैं जो प्रकाशित हो चुके हैं। उन्होंने भारत सरकार के 15 विभागों/ मंत्रालयों के लिए 'नागरिक केंद्रिक शासन' प्रपत्रों का सरलीकरण पर 24 राष्ट्रीय कार्यशालाओं का समन्वयन किया है।

डॉ. ए.पी. सिंह, एसोसिएट प्रोफेसर : सांख्यिकीय में एम.फिल और पीएचडी। उन्हें सामाजिक विज्ञान शोध करने तथा प्रबंधन, शासन, प्रशासन और सरकारी निजी भागीदारी के क्षेत्र में राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय स्तरों पर प्रशिक्षण आयोजन करने का लम्बा अनुभव है। वह सांख्यिकीय और सामाजिक विज्ञान शोध के अन्य क्षेत्र जैसे भूमि सुधार, शिक्षा, स्वास्थ्य और ग्रामीण विकास के विशेषज्ञ हैं। प्रतिष्ठित पत्रिकाओं में अनेक लेख प्रकाशित हुए हैं तथा उन्होंने अनेक पुस्तकें भी लिखी हैं। उन्होंने विभिन्न सामाजिक क्षेत्रों के अनेक शोध अध्ययन कार्य सफलतापूर्वक संपन्न कर प्रकाशित किए हैं। उन्होंने विभिन्न देशों के सिविल सेवकों के लिए 55 अंतरराष्ट्रीय प्रशिक्षण कार्यक्रम तथा प्रतिष्ठित संस्थानों जैसेकि लोकसभा सचिवालय, राज्य सिविल सेवक, कोल इंडिया के वरिष्ठ अधिकारियों सहित अन्यों के लिए अनेक राष्ट्रीय स्तर के प्रशिक्षण कार्यक्रमों का सफलतापूर्वक समन्वयन किया है।

.

डॉ. भूपेन्द्र सिंह बिष्ट, एसोसिएट प्रोफेसर : कुमायूँ विश्वविद्यालय, नैनीताल (उत्तराखंड) से भूगोल विज्ञान में एम.ए, पीएचडी। उन्हें अनुसंधान, विकास और प्रशिक्षण में 20 वर्ष का अनुभव है। उन्होंने जीबीपीआईएचईडी (पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, भारत सरकार का संगठन) में अनुसंधान वैज्ञानिक के रूप में कार्य किया तथा उन्होंने उत्तराखंड प्रशासन अकादमी, नैनीताल में भी संकाय सदस्य के रूप में कार्य किया। प्रतिष्ठित राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय पत्रिकाओं में उनके 30 से अधिक शोध-पत्र प्रकाशित हो चुके हैं तथा उन्होंने दो पुस्तकों "सैनिटेशन एंड हेल्थ इन रूरल इंडिया : प्राब्लम एंड मैनेजमेंट आप्शन्स" का श्री आलोक कुमार, भा.प्र. सेवा, पूर्ववर्ती उप निदेशक, लाल बहादुर शास्त्री राष्ट्रीय प्रशासन अकादमी तथा "डिसेन्ट्रालाइज्ड गवर्नेंस ऑन वाटर एंड सैनिटेशन इन इंडिया" का श्री कुश वर्मा, भा.प्र. सेवा पूर्ववर्ती, महानिदेशक, एनसीजीजी और डॉ एडेन क्रोनिन, चीफ वाटर एंड सैनिटेशन, यूनिसेफ, इंडोनेशिया के साथ संपादन कार्य किया। डॉ. बिष्ट ने देश भर में जल और स्वच्छता, लोक नीति एवं शासन पर 90 क्षमता निर्माण प्रशिक्षण कार्यक्रम तथा दूरदर्शी नेतृत्व प्रशिक्षण कार्यक्रम भी सफलतापूर्वक आयोजित किए। उन्होंने भारत के विभिन्न स्थानों और विदेश में अनेक पेशेवर प्रशिक्षण प्राप्त किए हैं।

डॉ. गजाला हसन, एसोसिएट प्रोफेसर : जामिया मिलिया इस्लामिया विश्वविद्यालय, नई दिल्ली से एम.कॉम, पीएचडी (वाणिज्य) तथा लाल बहादुर शास्त्री राष्ट्रीय प्रशासन अकादमी, मसूरी से डायरेक्ट ट्रेनिंग स्किल्स (डीटीएस) पाठ्यक्रम। वह सामाजिक क्षेत्र के विविध शोध अध्ययनों, एसएसए, प्रशिक्षण और प्रबंधन विकास कार्यक्रमों में शामिल रही हैं।

श्री संजीव शर्मा, रिसर्च एसोसिएट : एचएनबी गढ़वाल विश्वविद्यालय, श्रीनगर से एम.ए. (समाज विज्ञान), एम.ए. (अंग्रेजी), साईनाथ विश्वविद्यालय, रांची से पीएचडी (समाज विज्ञान) कर रहे हैं, एमसीआरपी विश्वविद्यालय, भोपाल से पीजीडीसीए, लाल बहादुर शास्त्री राष्ट्रीय प्रशासन अकादमी से डायरेक्ट ट्रेनर स्किल्स (डीटीएस)। उन्होंने ग्राफिक्स एरा, देहरादून से डीटीपी में सर्टिफिकेट कोर्स तथा ऑटो कैड (सीएडी) भी किया है। उन्होंने प्रतिष्ठित पत्रिकाओं और पुस्तकों में शोधपरक लेख प्रकाशित किए हैं तथा वह भिन्न-भिन्न सामाजिक क्षेत्र के विभिन्न शोध अध्ययनों के समापन और प्रकाशन में सफलतापूर्वक जुड़े रहे हैं। वह एसपीएसएस आदि जैसे पैकेजों के उपयोग से मात्रात्मक और सांख्यिकीय विश्लेषण सहित स्किल्स प्राप्त हैं।वह सिविल सेवकों के लिए 55 अंतरराष्ट्रीय प्रशिक्षण कार्यक्रमों तथा प्रतिष्ठित संस्थानों जैसे कि लोकसभा सचिवालय, राज्य सिविल सेवकों, कोल इंडिया के वरिष्ठ अधिकारियों और अन्यों के लिए अनेक राष्ट्रीय स्तर प्रशिक्षण कार्यक्रमों के समन्वयन में सफलतापूर्वक जुड़े रहे हैं।.

डॉ मुकेश के. भंडारी, रिसर्च एसोसिएट : एम.ए. (राजनीति शास्त्र), हिमाचल प्रदेश विश्वविद्यालय, शिमला, पीएचडी (राजनीतिशास्त्र), एच.एन.बी. गढ़वाल विश्वविद्यालय, श्रीनगर। अखिल भारतीय स्थानीय स्वशासन संस्थान, बम्बई से स्थानीय स्व-शासन में डिप्लोमा, लाल बहादुर शास्त्री राष्ट्रीय प्रशासन अकादमी मसूरी से डायरेक्ट ट्रेनर स्किल्स (डीटीएस) कोर्स। उन्होंने "इंडीजनस पीपुल राइटस" पर हिमाचल प्रदेश और जम्मू व कश्मीर राज्य के जिला अधिकारियों एवं ग्राम पंचायत सदस्यों को प्रशिक्षण देने के लिए संसाधन व्यक्ति के रूप में प्रज्ञा अंतरराष्ट्रीय संगठन द्वारा आयोजित चार प्रशिक्षण कार्यक्रमों में भागीदारी की। उन्होंने उत्तराखंड राज्य में लोकनीति : सेंटर फॉर द स्टडी ऑफ डेवलपिंग सोसाइटीज, दिल्ली द्वारा आयोजित अनुसंधान कार्यक्रम : विधानसभा चुनाव अध्ययन, 2002 (चुनाव पश्चात् - सर्वेक्षण) में फील्ड सर्वेक्षक का कार्य किया। वह सिविल सेवकों के लिए 55 अंतरराष्ट्रीय प्रशिक्षण कार्यक्रमों तथा प्रतिष्ठित संस्थानों जैसे कि लोकसभा सचिवालय, राज्य सिविल सेवकों, कोल इंडिया के वरिष्ठ अधिकारियों और अन्यों के लिए अनेक राष्ट्रीय स्तर प्रशिक्षण कार्यक्रमों के समन्वयन में सफलतापूर्वक जुड़े रहे हैं।

श्री संदीप गर्ग, वित्त अधिकारी : बी.एस.सी. भौतिकी (आनर्स)। वह वित्त मंत्रालय, लेखा महानियंत्रक (सीजीए), व्यय विभाग में अधिकारी हैं। उन्होंने आईएनजीएएफ द्वारा आयोजित कंप्यूटर लेखापरीक्षा तकनीकों में भी प्रशिक्षण प्राप्त किया है। उन्हें पीएफएमएस ऑनलाइन पोर्टल तथा सरकारी लेखा और आंतरिक लेखापरीक्षा का कार्य-अनुभव है।

NCGG

संलग्नक-I

राष्ट्रीय सुशासन केंद्र (एनसीजीजी) के शासी निकाय के सदस्यगण

1.	मंत्रिमंडल सचिव	अध्यक्ष
2.	सचिव, प्रशासनिक सुधार और लोक शिकायत विभाग	उपाध्यक्ष
3.	सचिव, कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग	सदस्य
4.	सचिव, ग्रामीण विकास विभाग	सदस्य
5.	सचिव, आवास और शहरी कार्य मंत्रालय	सदस्य
6.	सचिव, स्वास्थ्य और परिवार कल्याण विभाग	सदस्य
7.	सचिव, उच्चतर शिक्षा विभाग	सदस्य
8.	सचिव, आर्थिक कार्य विभाग	सदस्य
9.	सचिव, इलेक्ट्रॉनिक और सूचना प्रौद्योगिकी विभाग	सदस्य
10.	सचिव, कृषि,सहकारिता और किसान कल्याण विभाग	सदस्य
11.	शिक्षाविद / प्रख्यात प्रशासक / विशेषज्ञ / प्रतिष्ठित नवप्रवर्तक / प्रतिष्ठित संस्थानों के प्रमुख	सदस्य (5)
12.	महानिदेशक, एनसीजीजी	सदस्य सचिव

संलग्नक- II

राष्ट्रीय सुशासन केंद्र की प्रबंधन समिति के सदस्यगण

1.	सचिव, प्रशासनिक सुधार और लोक शिकायत विभाग	अध्यक्ष (पदेन)
2.	सचिव समन्वय, मंत्रिमंडल सचिवालय	सदस्य (पदेन)
3.	एसएस/एएस एवंएफए (गृह)	सदस्य (पदेन)

सचिवगण अथवा उनके नामिती जो संयुक्त सचिव स्तर से कम नहीं हों

4.	कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग	सदस्य (पदेन)
5.	ग्रामीण विकास विभाग	सदस्य (पदेन)
6.	आवास और शहरी कार्य मंत्रालय	सदस्य (पदेन)
7.	स्वास्थ्य और परिवार कल्याण विभाग	सदस्य (पदेन)
8.	उच्चतर शिक्षा विभाग	सदस्य (पदेन)
9.	आर्थिक कार्य विभाग	सदस्य (पदेन)
10.	इलेक्ट्रॉनिक और सूचना प्रौद्योगिकी विभाग	सदस्य (पदेन)
11.	कृषि,सहकारिता और किसान कल्याण विभाग	सदस्य (पदेन)
12.	महानिदेशक, एनसीजीजी	सदस्य सचिव

अनुलग्नक-III

वर्चुअल कार्यशालाओं की सूची

क्र. सं.	वर्चुअल कार्यशालाएं	दिनांक
1.	"कोविड-19 महामारी में सुशासन प्रथाए" विषय पर पूर्वी अफ्रीका, मध्य एशिया एवं दक्षिण एशिया के देशों के लिए प्रथम दो-दिवसीय एनसीजीजी-आईटीईसी कार्यक्रम	18-06-2020 – 19-06-2020
2.	"कोविड-19 महामारी में एशियाई देशों के लिए सुशासन प्रथाए" विषय पर दूसरा दो-दिवसीय एनसीजीजी-आईटीईसी वर्चुअल कार्यशाला	06-08-2020 – 07-08-2020
3.	''महामारी में आकांक्षी जिलों में सुशासन प्रथाएं" विषय पर एक दिवसीय एनसीजीजी-नीति अयोग वर्चुअल कार्यशाला	04-09-2020
4.	''कोविड-19 महामारी में सुशासन प्रथाएं'' विषय पर दो-दिवसीय भारत-मालदीव वर्चुअल कार्यशाला	23-02-2021 – 24-02-2021

NCGG

अनुलग्नक-IV

सुशासन वेबिनार श्रृंखला की सूची

क्र. सं.	सुशासन वेबिनार	दिनांक
1.	‘’लोक शिकायतों की नीति, जवाबदेही और निवारण’’ पर वेबिनार	26-11-2020
2.	‘’नए भारत में सुशासन के लिए प्रबंधन प्रथाएं’’ विषय पर वेबिनार	03-12-2020
3.	‘’सुशासन में जिला कलक्टर की बढ़ती हुई भूमिका’’ पर वेबिनार	11-12-2020
4.	राज्य प्रशासन - कार्य निष्पादन प्रबंधन, समन्वय, संकट प्रबंधन एवं कार्मिक प्रशासन में मुख्य सचिव के नेतृत्व की भूमिका’’ पर वेबिनार	18-12-2020
5.	‘’नागरिक केन्द्रिक शासन - आधार से जुड़ी सेवाएं और उन्नत सेवा प्रदायगी’’ पर वेबिनार	24-12-2020
6.	‘’आपदा प्रबंधन-जोखिम में कमी और तैयार तथा प्रतिक्रिया’’ पर वेबिनार	08-01-2021
7.	‘’जिला स्तर पर डिजिटल शासन में उत्कृष्टता’’ पर वेबिनार	21-01-2021
8.	‘’ लबासना - संस्था निर्माण एवं आईएएस अधिकारियों के क्षमता निर्माण की आवश्यकताओं की पूर्ति’’ पर वेबिनार	27-01-2021
9.	‘’जिला स्तर पर प्रशासनिक नवाचार’’ पर वेबिनार	12-02-2021
10.	‘’जम्मू एवं कश्मीर में प्रशासनिक नवाचार’’ पर वेबिनार	26-03-2021

अनुलग्नक-V

प्रशिक्षण कैलेण्डर 2021-22

क्र. सं.	पाठ्यक्रम	अप्रैल -21	मई 21	जून-21	जुलाई 21	अगस्त -21	सित.-21	अक्तू. t-21	नव.-21	दिस.-21	जन.-22	फर-22	मार्च -22	अप्रै. -22
	अंतर्राष्ट्रीय गतिविधियां													
1	बांग्लादेश के सिविल सेवकों के लिए फील्ड प्रशासन में क्षमता निर्माण कार्यक्रम							18 29						
2	बांग्लादेश के सिविल सेवकों के लिए फील्ड प्रशासन में क्षमता निर्माण कार्यक्रम								29	10				
3	बांग्लादेश के सिविल सेवकों के लिए फील्ड प्रशासन में क्षमता निर्माण कार्यक्रम										10 21			
4	बांग्लादेश के सिविल सेवकों के लिए फील्ड प्रशासन में क्षमता निर्माण कार्यक्रम											14 26		
5	बांग्लादेश के सिविल सेवकों के लिए फील्ड प्रशासन में क्षमता निर्माण कार्यक्रम												21	02
6	मालदीव के सिविल सेवकों के लिए फील्ड प्रशासन में क्षमता निर्माण कार्यक्रम						27	09						
7	मालदीव के सिविल सेवकों के लिए फील्ड प्रशासन में क्षमता निर्माण कार्यक्रम								08 20					
8	मालदीव के सिविल सेवकों के लिए फील्ड प्रशासन में क्षमता निर्माण कार्यक्रम									20	01			
9	मालदीव के सिविल सेवकों के लिए फील्ड प्रशासन में क्षमता निर्माण कार्यक्रम										31	12		
10	मालदीव के सिविल सेवकों के लिए फील्ड प्रशासन में क्षमता निर्माण कार्यक्रम											28	12	
11	गाम्बिया के सिविल सेवकों के लिए सार्वजनिक नीति और शासन पर उन्नत नेतृत्व विकास कार्यक्रम									दिसम्बर				
12	अफ्रीकी देशों के सिविल सेवकों के लिए सार्वजनिक नीति और शासन पर उन्नत नेतृत्व विकास कार्यक्रम												14 26	
13	जिबूती के सिविल सेवकों के लिए दो दिवसीय वर्चुअल कार्यशाला										जनवरी			
14	मोरक्को के सिविल सेवकों के लिए वेबिनार									दिसम्बर				
15	एनसीजीजी-आटीईसी वेबिनार : प्रशासनिक नवाचार							05						

राष्ट्रीय गतिविधियां														
16	ओडिशा प्रशासनिक सेवा के अधिकारियों के लिए लोक नीति और शासन पर क्षमता निर्माण कार्यक्रम						20 24							
17	ओडिशा प्रशासनिक सेवा के अधिकारियों के लिए लोक नीति और शासन पर क्षमता निर्माण कार्यक्रम								29 03					
18	ओडिशा प्रशासनिक सेवा के अधिकारियों के लिए लोक नीति और शासन पर क्षमता निर्माण कार्यक्रम											14 18		
19	लोक सभा सचिवालय के वरिष्ठ अधिकारियों के लिए प्रबंधन विकास कार्यक्रम							18 22						
20	लोक सभा सचिवालय के नवनियुक्त कार्यकारी/विधायी/समिति/प्रोटोकॉल अधिकारियों/अनुसंधान अधिकारियों के लिए फाउंडेशन कोर्स									20 30				
21	जम्मू और कश्मीर सरकार के वरिष्ठ अधिकारियों के लिए एनसीजीजी - आईआईपीए, जम्मू और कश्मीर क्षेत्रीय शाखा क्षमता निर्माण कार्यक्रम	06 सप्ताह												
22	सीआईपीएस के सहयोग से प्रशासनिक नवाचारों पर वेबिनार					अगस्त								
अनुसंधान/ अध्ययन														
23	सुशासन सूचकांक (जीजीआई) का डिजाइन और विकास – 2020													
24	लोक सेवा प्रदायगी के अधिकार अधिनियमों का प्रभाव आकलन अध्ययन - लोक सेवाओं के वितरण में जवाबदेही बढ़ाना													

राष्ट्रीय सुशासन केंद्र (एनसीजीजी)

मुख्यालय

चौथा तल,ब्लॉक- IV,पुराना जेएनयू परिसर,न्यू महरौली रोड़, नई दिल्ली-110067

टेलीफोन 011-26169139, 011-26169137,011-26169136

शाखा कार्यालय

कोज़ी नुक कॉम्प्लेक्स, चार्लीविले रोड़, मसूरी, उत्तराखंड-248179

टेलीफोन + 91-135-2632485,+91-135-2632686,+91-135-2632663,2630917

ईमेल : ncgg-dopt@nic.in

वेबसाइट : www.ncgg.org.in